



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 852]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2016/अग्रहायण 23, 1938

No. 852]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1134(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 से धारा 233 और धारा 235 से धारा 240 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम 15 दिसम्बर, 2016 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों के उपाबंध अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों के उपाबंध "क" में दिए गए प्ररूप अभिप्रेत हैं जिनका उपयोग उन मामलों के लिए किया जाएगा जो इनसे संबंधित हैं और इनमें इनके इलेक्ट्रॉनिक रूप शामिल हैं;

(घ) "समापक" से इस अधिनियम या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अधीन नियुक्त समापक से अभिप्रेत है;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है किंतु इस अधिनियम या कंपनी (परिभाषाओं के विनिर्देशन ब्यौरे) नियम, 2014 या राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 में परिभाषित किया गया है के वही अर्थ होंगे जो इन्हें इस अधिनियम या उक्त नियमों में दिए गए हैं।

(3) किसी बैठक के आदेश के लिए आवेदन.— (1) इस अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप संख्या एनसीएलटी-1 (राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 में संलग्न) में निम्नलिखित के साथ आवेदन किया जा सकता है:-

(i) प्ररूप संख्या एनसीएलटी-2 (राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 में संलग्न) में दर्ज करने का नोटिस;

(ii) प्ररूप संख्या एनसीएलटी-6 (राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 में संलग्न) में शपथ पत्र;

- (iii) समझौते या ठहराव की स्कीम की एक प्रतिलिपि जिसमें इस अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (2) के अनुसार प्रकटीकरण शामिल होंगे; और
- (iv) फीस की अनुसूची में यथाविहित फीस।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने के लिए स्कीम में एक से अधिक कंपनी शामिल है वहां वह आवेदन उन कंपनियों के विवेकाधिकार से संयुक्त आवेदन के रूप में फाइल किया जा सकता है।

(3) जहां कंपनी आवेदक नहीं है वहां दर्ज करने के नोटिस और शपथपत्र की एक प्रति दर्ज करने की नोटिस की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले कंपनी पर तामील की जाएगी, अथवा, जहां कंपनी बंद की जा रही है वहां दर्ज करने की सूचना की सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम-से-कम चौदह दिन पहले तामील की जाएगी।

(4) आवेदक, उपनियम (1) के अधीन आवेदन में अधिकरण को वह आधार भी प्रकट करेगा जिस पर स्कीम के अनुमोदन के प्रयोजनों के लिए सदस्यों या लेनदारों की प्रत्येक वर्ग की पहचान की गई है।

4. समझौता या ठहराव के लिए अधिकरण को किए गए आवेदन में प्रकटीकरण – लेनदार जवाबदेयता विवरण.— इस अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (i) के प्रयोजनों के लिए प्ररूप संख्या सीएए-1 में लेनदार जवाबदेयता कथन कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना की स्कीम में शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (2) के खंड (ग) में यथासंदर्भित कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना से ऐसी स्कीम अभिप्रेत होगी जो किसी कंपनी की उसके लेनदारों के प्रति ऋण देयताओं की पुनर्संरचना या उसमें फेरबदल करता है।

5. आवेदन की सुनवाई से संबंधित निर्देश – इस अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की सुनवाई पर अधिकरण जब तक कि आवेदन को नामंजूर करने का कोई कारण उपयुक्त न समझे, निम्नलिखित मामलों के संबंध में आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे निर्देश दे सकता है:-

- (क) लेनदारों या सदस्यों की वर्ग या श्रेणियां जिनकी बैठक या बैठकें प्रस्तावित समझौते या ठहराव पर विचार करने के लिए आयोजित की जानी है; या धारा 230 की उपधारा (9) के संदर्भ में लेनदारों की किसी वर्ग या श्रेणियों के लिए बैठक या बैठकों के आयोजन में छूट दी जानी है, निर्धारित करना;
- (ख) बैठक या बैठकों का समय और स्थान निर्धारित करना;
- (ग) बैठक या बैठकों, यथास्थिति के लिए अध्यक्ष और संवीक्षक की नियुक्ति करना तथा पारिश्रमिक सहित उसकी नियुक्ति की शर्तें निर्धारित करना;
- (घ) बैठक या बैठकों में कोरम और अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करना जिसमें व्यक्तिगत रूप से परोक्षी द्वारा या डाक मतपत्र या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करना शामिल है;

स्पष्टीकरण- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए “इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान” उसी प्रक्रिया के अनुसार होगा जैसा कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 में विनिर्दिष्ट है।

- (ड.) यथास्थिति लेनदारों या सदस्यों या लेनदारों या सदस्यों की किसी वर्ग, के मूल्य निर्धारित करना जिनकी बैठकें आयोजित की जानी है;
- (च) बैठक या बैठकों की सूचना देना और इस सूचना का प्रचार;
- (छ) धारा 230 की उपधारा (5) के अधीन यथापेक्षित क्षेत्रीय नियमों या प्राधिकारियों को नोटिस दिया जाना;
- (ज) समय-सीमा निर्धारित करना जिसमें बैठक के अध्यक्ष द्वारा अधिकरण को बैठक के परिणाम की सूचना देना अपेक्षित है; और
- (झ) ऐसे अन्य मामले जैसा कि अधिकरण ठीक समझे।

6. बैठक का नोटिस.—(1) जहां लेनदारों और/या सदस्यों की किसी वर्ग या श्रेणियों की बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया है वहां अधिकरण के आदेश के अनुसरण में इस अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (3) में उपबंधित रीति में दिए जाने वाला बैठक का नोटिस प्ररूप संख्या सीएए-2 में दिया जाएगा और इसे प्रत्येक लेनदार और सदस्य को अलग-अलग भेजा जाएगा।

(2) यह नोटिस बैठक के लिए नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा या यदि अधिकरण निदेश दे तो कंपनी (या इसके समापक) द्वारा या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जैसा कि अधिकरण निदेश दे, बैठक के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम एक माह पहले उनके अंतिम ज्ञात पते पर रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर या ई-मेल या दस्ती या अन्य कोई माध्यम जैसा कि अधिकरण निदेश दे, द्वारा भेजा जाएगा।

स्पष्टीकरण – यह स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा सुपुर्दगी के मामले में बैठक का नोटिस उसी तारीख से भेजा गया माना जाएगा जबकि उसे भेजने वाले पत्र को अड़तालीस घंटे हो गए हों।

(3) लेनदारों और सदस्यों की बैठक की सूचना के साथ समझौते या ठहराव की स्कीम की एक प्रतिलिपि और यदि उक्त स्कीम में ऐसे विवरण पहले न दिए गए हों तो समझौते या ठहराव के निम्नलिखित विवरण बताते हुए एक विवरण लगाया जाएगा:-

(i) बैठक बुलाने, आयोजित करने और संचालित करने का निदेश देने वाले अधिकरण के आदेश के ब्यौरे:

(क) आदेश की तारीख;

(ख) बैठक की तारीख, समय और स्थान।

(ii) कंपनी के ब्यौरे जिनमें शामिल होगा:

(क) कंपनी का कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या वैश्विक पहचान संख्या (जीएलएन);

(ख) स्थायी खाता संख्या (पैन);

(ग) कंपनी का नाम;

(घ) निगमन की तारीख;

(ङ) कंपनी का प्रकार (क्या पब्लिक या प्राइवेट या एकल व्यक्ति कंपनी है);

(च) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता और ई-मेल पता;

(छ) कंपनी के संगम ज्ञापन के अनुसार मुख्य उद्देश्य का सार; और कंपनी द्वारा किया जा रहा मुख्य कारबार;

(ज) पिछले पांच वर्ष के दौरान कंपनी के नाम, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और उद्देश्यों में किए गए परिवर्तन के ब्यौरे;

(झ) उस स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का नाम जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं, यदि लागू हो;

(ञ) प्राधिकृत, जारी, अभिदत्त और समादत्त शेयरपूजी सहित कंपनी की पूंजीगत संरचना के ब्यौरे; और

(ट) प्रवर्तकों और निदेशकों के नाम और उनके पते।

(iii) यदि समझौता या ठहराव की स्कीम एक से अधिक कंपनियों से संबंधित है तो ऐसी कंपनियों के मध्य समझौता या ठहराव की ऐसी स्कीम की पक्षकार नियंत्री, अनुषंगी या सहयोगी कंपनियों के मध्य किसी संबंध के तथ्य और ब्यौरे, जो समझौता या ठहराव की ऐसी स्कीम के पक्षकार हैं, के बीच विद्यमान किसी संबंध के तथ्य और ब्यौरे।

(iv) निदेशक मंडल द्वारा जिस बोर्ड बैठक में स्कीम अनुमोदित की गई थी उसकी तारीख, संकल्प के पक्ष में मतदान करने वाले, संकल्प के विरोध में मतदान करने वाले और संकल्प पर मतदान नहीं करने वाले या मतदान में भाग नहीं लेने वाले निदेशकों के नाम सहित।

(v) समझौता या ठहराव की स्कीम के ब्यौरे प्रकट करते हुए स्पष्टीकरण विवरण जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे-

(क) ऐसे समझौते अथवा ठहराव में अंतर्बलित पक्षकार;

(ख) समामेलन अथवा विलय की स्थिति में नियत तारीख, प्रभावी तारीख, शेयर विनिमय अनुपात (यदि लागू हो) और अन्य विचारणीय विषय, यदि कोई हो;

(ग) मूल्यांकन रिपोर्ट का सारांश (यदि लागू हो), मूल्यांकन का आधार तथा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता यदि कोई हो, का निष्पक्ष मत सहित और यह घोषणा पत्र कि कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में जांच हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध है;

(घ) पूंजी या ऋण पुनर्संरचना, यदि कोई हो के ब्यौरे;

(ङ) समझौता या ठहराव का औचित्य;

(च) कंपनी के निदेशक मंडल, सदस्यों, लेनदारों और अन्त्यों (जैसा लागू हो) द्वारा यथापरिकल्पित समझौता या ठहराव के लाभ;

(छ) अप्रतिभूत लेनदारों की बकाया राशि।

(vi) समझौता या ठहराव के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित के संबंध में प्रकटीकरण-

(क) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक;

(ख) निदेशक;

- (ग) प्रवर्तक;
- (घ) गैर-प्रवर्तक सदस्य;
- (ङ) निक्षेपकर्ता;
- (च) लेनदार;
- (छ) प्रतिभूतिधारक;
- (ज) जमा न्यासी और डिबेंचर न्यासी;
- (झ) कंपनी के कर्मचारी:

(vii) निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और डिबेंचर न्यासी के वास्तविक हितों पर समझौता या ठहराव के प्रभाव के लिए भी प्रकटीकरण करना होगा।

इन नियमों के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि -

स्पष्टीकरण – (क) 'हित' पद कंपनी में शेयरों में हित से अधिक व्यापक है और यह समझौता या ठहराव के प्रस्तावित स्कीम के संदर्भ में है।

(ख) मूल्यांकन रिपोर्ट किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा बनाई जाएगी और इस अधिनियम की धारा 247 के अधीन विहित मूल्यांकक के रूप में व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण होने तक यह मूल्यांकन रिपोर्ट किसी स्वतंत्र व्यापार बैंककारी द्वारा बनाई जाएगी जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या किसी व्यावसायिक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास रजिस्ट्रीकृत है और जिसे कम से कम दस वर्ष का अनुभव है।

(viii) अधिनियम के अधीन कंपनी के विरुद्ध लंबित जांच अथवा कार्यवाही, यदि कोई हो।

(ix) उद्धरण प्राप्त करने अथवा प्रतिलिपि करने/प्राप्त करने अथवा सदस्यों और लेनदारों द्वारा जांच हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की उपलब्धता के ब्यौरा, अर्थात् -

- (क) कंपनी का अद्यतन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण सहित;
- (ख) अधिकरण के उस आदेश की प्रति जिसके अनुसरण बैठक आयोजित की जानी है अथवा बैठक आयोजित करने से छूट दी गई है;
- (ग) समझौता या ठहराव की स्कीम की प्रति;
- (घ) समझौता या ठहराव के संगत संविदाएं या सहमतियां;
- (ङ) कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र कि समझौते या ठहराव की स्कीम में प्रस्तावित लेखांकन संव्यवहार यदि हों, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन विहित लेखांकन मानकों के अनुसार है; और
- (च) ऐसी अन्य सूचना या दस्तावेज जैसा कि स्कीम के पक्ष में या विरोध में निर्णय करने के लिए बोर्ड या प्रबंधन आवश्यक या सुसंगत समझे।

(x) समझौता या ठहराव की प्रस्तावित स्कीम के लिए अपेक्षित, प्राप्त या लंबित नियामक या किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी से, यदि अपेक्षित हो, तो अनुमोदन, स्वीकृतियां या अनापत्ति के ब्यौरे।

(xi) इस आशय का एक कथन कि जिन व्यक्तियों को नोटिस भेजा जाता है वे बैठक में व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा या जहां कहीं लागू हो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण – इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी से अपेक्षित प्रकटीकरण समझौता या ठहराव के पक्षकार सभी कंपनियों के संबंध में किए जाएंगे।

7. बैठक की सूचना का विज्ञापन

इस अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (3) के अधीन बैठक का नोटिस उस राज्य में जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है में व्यापक परिचालन वाले कम से कम एक अंग्रेजी समाचार पत्र और एक प्रांतीय भाषा के समाचार पत्र में या ऐसे समाचार पत्रों में जैसा की अधिकरण निदेश करे, प्ररूप संख्या सीएए-2 में विज्ञापित किया जाएगा और इसे बैठक की तारीख के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीस दिन पहले कंपनी की वेबसाइट (यदि हो) पर रखा जाएगा और सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में इसे सेबी तथा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध है, की वेबसाइट पर भी रखा जाएगा;

परंतु जहां लेनदारों या सदस्यों की श्रेणियों की अलग अलग बैठकें की जानी हैं उन मामलों में ऐसी बैठकों के लिए एक संयुक्त विज्ञापन दिया जा सकता है।

8. कानूनी प्राधिकारों को नोटिस—(1) इस अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए नोटिस प्ररूप संख्या सीएए-3 में होगा और इसके साथ समझौता या ठहराव की स्कीम की एक प्रतिलिपि, स्पष्टीकरण विवरण तथा नियम 6 के अधीन उल्लिखित प्रकटीकरण लगाए जाएंगे तथा इन्हें निम्नलिखित को भेजा जाएगा—

- (i) सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार, कंपनी रजिस्ट्रार, आयकर प्राधिकारी;
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और स्टॉक एक्सचेंज, जैसा की लागू हो;
- (iii) अन्य क्षेत्रीय नियामक या प्राधिकरण, जैसा कि अधिकरण द्वारा अपेक्षा की जाए।

(2) कंपनी के सदस्यों या लेनदारों को नोटिस भेजने के बाद उपनियम (1) में उल्लिखित प्राधिकरणों को नोटिस रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा या दस्ती प्राधिकरण के कार्यालय पर भेजा जाएगा।

(3) यदि उप नियम (1) के अधीन उल्लिखित प्राधिकरण इस धारा 230 की उपधारा (5) के अधीन कोई अभ्यावेदन करना चाहें तो वह इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के अंदर अधिकरण को भेजा जाएगा और अभ्यावेदन की प्रतिलिपि साथ ही साथ संबंधित कंपनियों को भी भेजी जाएगी तथा यदि अधिकरण द्वारा तीस दिन की निर्धारित में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा की प्राधिकरण को समझौता या ठहराव को प्राधिकरण की स्कीम के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं करना है।

9. मतदान—वह व्यक्ति जिसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर नोटिस प्राप्त होता है वह समझौते या ठहराव की स्कीम अपनाने के लिए बैठक में व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा या डाक मतपत्र या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से मतदान कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के अधीन शेयरधारक या लेनदारा के रूपमें नोटिस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा मतदान के प्रयोजनों के लिए—

- (क) “शेयरधारिता” से उस वर्ग के सदस्यों की शेयरधारिता से अभिप्रेत है जिन्हें प्रस्ताव पर मतदान करने का अधिकार है; और
- (ख) “बकाया ऋण” से कंपनी द्वारा लेनदारों की संबंधित वर्ग या वर्गों का सभी ऋण अभिप्रेत है जो अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय कथन के अनुसार बकाया है या यदि यह कथन छः माह से अधिक पुराना है तो आवेदन की तारीख से अधिकतम छः माह से पहले के अंतरिम वित्तीय कथन के अनुसार है।

10. परोक्षी—(1) परोक्षी द्वारा मतदान की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि बैठक में भाग लेने और मतदान करने के पात्र व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित निर्धारित प्ररूप बैठक से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले कंपनी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में फाइल किया जाए।

(2) जहां किसी कारपोरेट संस्था जो कंपनी का सदस्य या लेनदार (डिबेंचरधारक सहित) किसी व्यक्ति को बैठक में उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता है तो निदेशक बोर्ड या उस कारपोरेट निकाय की अन्य शासी परिषद के संकल्प की एक प्रतिलिपि जिसमें उस व्यक्ति को बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उस कारपोरेट निकाय के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणिक प्रति के रूप में प्रमाणित प्रतिलिपि बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में दर्ज की जाएगी।

(3) ऐसे किसी व्यक्ति को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो अवयस्क है।

(4) किसी दृष्टिहीन या लिखने में अस्मर्थ सदस्य या लेनदार की परोक्षी स्वीकार की जा सकती है यदि उस सदस्य या लेनदार ने किसी ऐसे साक्ष्य जो अपना विवरण और पता उसका हस्ताक्षर के साथ लगाएगा, की उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर या चिन्ह लगाया हो: परंतु कि परोक्षी में सभी लिखत साक्ष्य की हस्तलिपि में होगी और उस साक्ष्य को परोक्षी के अंत में प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा उपर्युक्त सभी लिखत उस सदस्य या लेनदार द्वारा अपने हस्ताक्षर या चिन्ह लगाने से पूर्व उसके अनुरोध पर और उसकी उपस्थिति में किए गए हैं।

(5) किसी ऐसे सदस्य या लेनदार जिसे अंग्रेजी नहीं आती, की परोक्षी स्वीकार की जा सकती है यदि यह पूर्ववर्ती उपनियम में विहित रीति में की गई है और साक्ष्य यह प्रमाणित करता है कि इसे सदस्य या लेनदार को उस भाषा में स्पष्ट किया गया था जिसे वह जानता है और हस्ताक्षर के नीचे अंग्रेजी में सदस्य या लेनदार का नाम दिया जाएगा।

11. समझौता या ठहराव की प्रति कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाना—बैठक में उपस्थित होने के हकदार प्रत्येक लेनदार या सदस्य को कंपनी द्वारा इस अधिनियम की धारा 230 के अधीन दिए जाने हेतु अपेक्षित विवरण की प्रति के साथ समझौता या ठहराव की प्रस्तावित स्कीम की प्रति मांगने के एक दिन के अंदर निःशुल्क दी जाएगी।

12. तामील का शपथ-पत्र.—(1) कंपनी की बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष अथवा बैठक का विज्ञापन और नोटिस जारी करने के लिए निदेशित अन्य व्यक्ति बैठक के लिए यथास्थिति निर्धारित तारीख अथवा पहली बैठक की तारीख के सात दिन से अनधिक अवधि के भीतर अधिकरण में शपथ-पत्र फाइल करेगा जिसमें यह कथित होगा कि नोटिस और विज्ञापन जारी करने से संबंधित अनुदेशों का विहित रूप से अनुपालन किया गया है।

(2) उप नियम (1) के अधीन चूक होने पर आवेदन और अंतिम आदेश की प्रतिलिपि अधिकरण के समक्ष ऐसे आदेशों के लिए प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि अधिकरण ठीक समझे।

13. बैठक के परिणाम पर मतदान द्वारा निर्णय किया जाना.—(1) नियम 5 के अधीन अधिकरण के निदेशों के अनुसरण में आयोजित बैठक अथवा बैठकों के सभी संकल्पों पर पोल द्वारा या इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन बैठक के परिणाम की रिपोर्ट प्ररूप संख्या सीएए-4 में होगी और इसमें बैठक में व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित होने वाले और मतदान करने वाले लेनदारों अथवा लेनदारों का वर्ग अथवा यथास्थिति सदस्यों अथवा सदस्यों का वर्ग और जहां लागू हो वहां इलेक्ट्रानिक माध्यम से मत देने वालों की निश्चित संख्या, उनके व्यक्तिगत मूल्य और उनके मतदान की रीति दर्शाई जाएगी।

14. अध्यक्ष द्वारा बैठक के परिणाम की रिपोर्ट.—बैठक का अध्यक्ष (अथवा यदि अलग-अलग बैठकें हैं वहां प्रत्येक बैठक का अध्यक्ष) अधिकरण द्वारा नियत तारीख के भीतर अथवा यदि समय निर्धारित नहीं किया गया हो वहां बैठक की समाप्ति के तीन दिन के भीतर अधिकरण को प्ररूप संख्या सीएए-4 में बैठक के परिणाम की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

15. समझौता या ठहराव की पुष्टि करने की याचिका.—(1) जहां प्रस्तावित समझौता या ठहराव पर यथास्थिति सदस्यों या लेनदारों या दोनों, की संशोधन या बिना संशोधन के सहमति है वहां कंपनी (अथवा कंपनी समापक) अध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट फाइल करने की तारीख से सात दिन के भीतर समझौता या ठहराव योजना की स्वीकृति के लिए अधिकरण को प्ररूप संख्या सीएए-5 में याचिका प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां किसी कंपनी या कंपनियों की पुनर्संरचना के लिए अथवा दो या दो से अधिक कंपनियों के लिए स्कीम के प्रयोनार्थ अथवा उसके संबंध में समझौता या सम्मति का प्रस्ताव है वहां याचिका में अधिनियम की धारा 232 के साथ पठित धारा 230 के अधीन उचित आदेशों और निदेशों की प्रार्थना की जाएगी।

(3) यदि कंपनी ऊपर उल्लिखित अनुसार समझौता या ठहराव की पुष्टि के लिए याचिका प्रस्तुत करने में विफल रहती है वहां कोई लेनदार या सदस्य, अधिकरण की अनुमति से याचिका प्रस्तुत कर सकेगा और कंपनी उसकी लागत वहन करेगी।

16. सुनवाई की तारीख और नोटिस.—(1) अधिकरण याचिका की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा, और सुनवाई का नोटिस उसी समाचार पत्र में विज्ञापित किया जाएगा जिसमें बैठक का नोटिस विज्ञापित किया गया था अथवा ऐसे समाचार पत्र में जो अधिकरण निदेश करें और यह सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम दस दिन पहले किया जाएगा।

(2) याचिका की सुनवाई की नोटिस अधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (4) के अधीन आपत्ति दर्ज कराने वाले के प्रतिनिधि को और केंद्रीय सरकार को और नियम 8 के अधीन प्रत्यावेदन देने वाले अन्य प्राधिकारियों को भी दिया जाएगा।

17. याचिका पर आदेश.—(1) जहां अधिकरण समझौता या ठहराव की संस्वीकृति देता है वहां ऐसे आदेश में समझौता या ठहराव के मामले में ऐसे निदेश और ऐसे संशोधन शामिल होंगे जो अधिकरण समझौता या ठहराव के उपयुक्त संचालन के लिए करना ठीक समझे।

(2) आदेश द्वारा यह निदेश दिया जाएगा कि अधिकरण द्वारा इसकी एक प्रमाणित प्रति आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसे अन्य समय जैसा अधिकरण द्वारा स्थिर किया गया हो, में कंपनी रजिस्ट्रार के पास दायर की जाएगी।

(3) इस आदेश को प्ररूप संख्या सीएए-6 में फेरफार, जैसा आवश्यक हो रखा जाएगा।

18. अधिनियम की धारा 232 के अधीन निदेशों के लिए आवेदन.—(1) जहां किसी कंपनी अथवा कंपनियों की पुनर्संरचना अथवा दो या दो से अधिक कंपनियों के समामेलन के लिए स्कीम के संबंध में या उसके प्रयोजनों के लिए किसी समझौता या ठहराव का प्रस्ताव किया गया है, और इसमें शामिल मामलों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है अथवा समझौता या ठहराव की संस्वीकृति के लिए याचिका पर उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है वहां अधिनियम की धारा 232 के अधीन अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में अधिकरण के निदेशों के लिए आवेदन द्वारा शपथपत्र स्वीकृति की नोटिस द्वारा एक आवेदन किया जाएगा।

(2) ऐसे मामलों में प्रविष्टि का सूचना ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जैसा अधिकरण निदेश करे।

19. आवेदन की सुनवाई के दौरान निदेश.—नियम 18 के अधीन प्रविष्टि की सूचना की सुनवायी के पश्चात् या उसकी स्थगित सुनवायी के पश्चात्, अधिकरण यथास्थिति समझौता या ठहराव के प्रयोजन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में ऐसा आदेश कर सकता

है या ऐसा निदेश दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे, जिसमें, जहां आवश्यक हो, अंकरणकर्ता कंपनी के लेनदारों और किन्हीं असहमत लेनदारों के ऋणों और दावों के प्रतिभूतिकरण के लिए ऐसी रीति में जांच शामिल होगी जो अधिकरण न्यायोचित और उपयुक्त समझे।

20. अधिनियम की धारा 232 के अधीन आदेश.— अधिनियम की धारा 230 के साथ पठित धारा 232 के अधीन आदेश प्ररूप संख्या सीए-7 में ऐसे अंतरणों के साथ किया जाएगा, जो परिस्थिति द्वारा अपेक्षित हो।

21. विलयों और समामेलनों में अनुपालन का विवरण.— अधिनियम की धारा 232 की उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 232 की उपधारा (3) के अधीन आदेश किया गया है स्कीम के पूरा होने तक प्रत्येक वित्त वर्ष के समाप्त होने के दो सौ दस दिन के भीतर कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 ऐसी फीस के साथ प्ररूप संख्या सीए-8 में विवरण कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाईल करेगी।

22. समझौता या ठहराव के संचालन पर रिपोर्ट.— समझौता या ठहराव का संस्वीकृति आदेश जारी होने के बाद अधिकरण स्वतः अथवा किसी हितवद्ध व्यक्ति के आवेदन करने पर कंपनी को अथवा जहां कंपनी बंद की जा रही वहां समापक को अधिकरण द्वारा निर्धारित ऐसे समय के भीतर अधिकरण के समक्ष उक्त समझौता या ठहराव के संचालन के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देते हुए एक आदेश करेगा और उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अधिकरण ऐसे आदेश पारित कर सकता है अथवा ऐसे निदेश दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

23. आवेदन करने की स्वतंत्रता.—(1) कोई कंपनी अथवा उसका कोई लेनदार या सदस्य और जहां कंपनी बंद की जा रही है वहां समापक समझौता या ठहराव की संस्वीकृति के आदेश पारित किए जाने के पश्चात् किसी समय समझौता या ठहराव के संचालन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न के निर्धारण के लिए अधिकरण में आवेदन कर सकेगा।

(2) यह आवेदन प्रथम दृष्टया अधिकरण द्वारा यथानिदेशित अनुसार यथास्थिति जारी किए जाने वाले नोटिसों और विज्ञापन के संबंध में निदेशों हेतु अधिकरण के समक्ष रखा जाएगा।

(3) अधिकरण आवेदन किए जाने पर, मामले के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है और ऐसे निदेश दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे, और समझौता या ठहराव में ऐसे संशोधन कर सकता है जो वह उसके उपयुक्त संचालन के लिए आवश्यक समझे, अथवा ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह मामले की परिस्थितियों में ठीक समझे।

24. अधिकरण की स्वतंत्रता.—(1) कार्यवाही के दौरान किसी समय इन नियमों के अधीन किसी याचिका या आवेदन की सुनवाई के समय यदि अधिकरण की यह राय है कि याचिका या आवेदन या साक्ष्य या सूचना या विवरण शपथपत्र के रूप में फाइल की जानी अपेक्षित है तो अधिकरण द्वारा ऐसी रीति में जो अधिकरण उपयुक्त समझे ऐसा आदेश किया जा सकेगा।

(2) अधिकरण अधिनियम में विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट मामलों को छोड़कर समझौता या ठहराव की स्कीम अथवा पुनर्संरचना की स्कीम अथवा अन्य किसी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उपबंधों के उद्देश्यों के अनुसरण में निदेश या आदेश दे सकता है अथवा इन नियमों में विहित किसी प्रक्रिया से छूट दे सकता है।

25. कतिपय कंपनियों का विलय या समामेलन.—(1) अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन प्रस्तावित स्कीम की सूचना प्ररूप संख्या सीए-9 में दिया जाएगा, जिससे कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक या इस स्कीम से प्रभावित व्यक्तियों की आपत्ति या सुझाव प्राप्त हो सके।

(2) अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (1) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए उन्मोचन की घोषणा विलय या समामेलन की स्कीम में शामिल प्रत्येक कंपनी द्वारा स्कीम के अनुमोदन के लिए सदस्यों और लेनदारों की बैठक आयोजित करने से पूर्व कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 की अनुसूची में यथाउपबंधित ऐसे फीस के साथ प्ररूप संख्या सीए-10 में फाइल की जाएगी।

(3) अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (घ) के प्रयोजन के लिए सदस्यों और लेनदारों की बैठक के नोटिस के साथ निम्नलिखित भी होंगे –

(क) नियम 6 के उप नियम (3) के साथ पठित अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (3) में उल्लिखित विवरण, जहां तक लागू हो;

(ख) प्ररूप संख्या सीए-10 में अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में उन्मोचन की घोषणा;

(ग) स्कीम की एक प्रति।

(4)(क) अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए अंतरणकर्ता कंपनी सदस्यों या सदस्यों की वर्ग अथवा लेनदारों या लेनदारों की वर्ग की बैठक समाप्ति के पश्चात् सात दिन के भीतर सदस्यों और लेनदारों द्वारा यथा अनुमोदित स्कीम की एक प्रति प्रत्येक बैठक के परिणामों के एक रिपोर्ट के साथ और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के तहत विनिर्दिष्टानुसार फीस सहित केंद्रीय सरकार को प्ररूप संख्या सीए-11 में फाइल करेगी।

(ख) स्कीम की प्रति प्ररूप संख्या सीएए-11 के साथ (i) कंपनी रजिस्ट्रार को प्ररूप जीएनएल-1 में कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के अधीन विहित फीस सहित और (ii) शासकीय समापक को व्यक्तिगत रूप से अदायगी या रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से फाइल की जाएगी।

(5) जहां कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक से स्कीम के संबंध में कोई आपत्ति या टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है अथवा कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक से आपत्तियां या टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद भी केंद्रीय सरकार की यह राय है कि स्कीम लोकहित में और लेनदारों के हित में है तो केंद्रीय सरकार प्ररूप संख्या सीएए-12 में विलय या समामेलन की ऐसी स्कीम का पुष्टि आदेश जारी कर सकती है।

(6) जहां कंपनी रजिस्ट्रार या शासकीय समापक से आपत्तियां प्राप्त होती हैं और ऐसी आपत्तियों के आधार पर अथवा अन्यथा केंद्रीय सरकार की यह राय है कि स्कीम लोकहित में नहीं है तो वह स्कीम प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर अपनी आपत्तियां और मत कथित करते हुए और अधिनियम की धारा 232 के अधीन स्कीम पर विचार करने के लिए अधिकरण को अनुरोध करते हुए प्ररूप संख्या सीएए-13 में आवेदन कर सकेगी।

(7) अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार या अधिकरण द्वारा जारी स्कीम का पुष्टि आदेश, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के अधीन निर्दिष्ट शुल्क के साथ प्ररूप संख्या आईएनसी-28 में क्रमशः अंतरिती और अंतरणकर्ता कंपनियों पर क्षेत्राधिकार वाले कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी।

(8) इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 233 के अधीन समझौता या ठहराव की स्कीम के संबंध में संबंधित कंपनियां अपने विवेकानुसार अधिनियम की धाराएँ 230 से 232 के अधीन ऐसी स्कीमों को चलाने के विकल्प ले सकती हैं, उन मामलों में भी जहां अधिनियम की धारा 233 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विहित शर्तों को पूरा नहीं किया गया है।

26. शेयरों के अधिग्रहण के लिए असहमत शेयरधारकों को नोटिस.— अधिनियम की धारा 235 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अंतरिती कंपनी अंतरणकर्ता कंपनी के असहमत शेयरधारकों के शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए अंतरणकर्ता कंपनी के असहमत शेयरधारकों को प्ररूप संख्या सीएए-14 में एक नोटिस ऐसे शेयरधारकों के अंतिम संसूचित पते पर भेजेगी।

27. अल्पसंख्यक शेयरधारण की खरीद के लिए मूल्य का अवधारण.— अधिनियम की धारा 236 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता निम्नलिखित नियमों के अनुसार कंपनी के अल्पसंख्यक शेयरधारकों के साम्या शेयरों की साम्या खरीद के लिए अधिनियम की धारा 236 की उपधारा (1) में उल्लिखित अधिग्रहणकर्ता, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, द्वारा भुगतान किए जाने वाला मूल्य (जिसे यहां इसके पश्चात् प्रस्थापना कीमत कहा गया है) निर्धारित करेगा –

(1) किसी सूचीबद्ध कंपनी के मामले में,

(i) प्रस्थापना कीमत का अवधारण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में उसके द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन किया जाएगा, जैसा लागू हो; और

(ii) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता कंपनी के निदेशक मंडल को संबोधित एक मूल्यांकन रिपोर्ट मूल्यांकन के आधार पर भी उपलब्ध कराएगा जिसमें ऐसे मूल्यांकन के लिए औचित्य दिया जाएगा।

(2) किसी असूचीबद्ध कंपनी और किसी प्राइवेट कंपनी के मामले में,

(i) प्रस्थापना मूल्य का अवधारण निम्नलिखित कारकों पर विचार करके किया जाएगा –

(क) पिछले बारह महीनों के दौरान अधिग्रहणकर्ता, व्यक्ति अथवा व्यक्ति के समूहों द्वारा अधिग्रहण के लिए भुगतान किया गया उच्चतम मूल्य;

(ख) कंपनी के शेयरों का उचित मूल्य जो निवल मूल्य विवरणी, शेयरों के मूल्य के बही, प्रति शेयर आय, उद्योग औसत की तुलना में मूल्य आय गुणक, और ऐसे अन्य मानक जो ऐसी कंपनियों के शेयरों के मूल्य के लिए प्रचलन में हैं, पर विचार करने के बाद रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया जाएगा; और

(ii) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता कंपनी के निदेशक मंडल को संबोधित एक मूल्यांकन रिपोर्ट मूल्यांकन के आधार पर भी उपलब्ध कराएगा जिसमें ऐसे मूल्यांकन के लिए औचित्य दिया जाएगा।

28. समामेलन अथवा विलय की स्कीम का परिपत्र.— अधिनियम की धारा 238 की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए शेयरों या शेयरों की किसी वर्ग के अंतरण की स्कीम अथवा संविदा के प्रस्ताव और इसके निदेशकों द्वारा अंतरणकर्ता कंपनी के सदस्यों को ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने की सिफारिश से संबंधित प्रत्येक परिपत्र प्ररूप संख्या सीएए-15 में यथाविहित ऐसी सूचना के साथ होगा।

(2) यह परिपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा।

29. अधिनियम की धारा 238 की उपधारा (2) के अधीन अपील.—कोई व्यक्ति पक्षकार किसी परिपत्र को कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्टर करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 238 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप एनसीएलटी-9 (राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 में संलग्नित) में उक्त अपील फाइल कर सकता है और उक्त अपील प्ररूप संख्या एनसीएलटी-6 (राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण नियम, 2016 में संलग्नित) में शपथपत्र द्वारा समर्पित होगी।

फीसों की सूची				
क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं	नियम संख्या	आवेदन या याचिका की प्रकृति	फीस
1.	धारा 230 की उपधारा (1)	3(1)	समझौते, ठहराव और समामेलन के लिए आवेदन	5000/-रुपए
2.	धारा 235 की उपधारा (2)		असहमत शेयरधारकों द्वारा आवेदन	1000/-रुपए
3.	धारा 238 की उपधारा (2)	29	किसी भी परिपत्र को रजिस्टर करने के लिए इंकार करने वाले रजिस्ट्रार के आदेश के विरोध में याचिका	2000/-रुपए

उपाबंध क

[नियम 2(1)(ग) देखें]

प्ररूप संख्या सीएए-1

[धारा 230 (2)(ग)(i) और नियम 4 के अनुसरण में]

लेनदार के दायित्व का विवरण

मैं/हम तारीख को रु. की एक राशि के लिए मैसर्स का/की/के लेनदार घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि हमने प्रस्तावित कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना योजना को पढ़ और समझ लिया है तथा मेरा/हमारा यह मानना है कि इस स्कीम से सहमत होने में मेरा/हमारा सर्वोत्तम हित है।

मैं/हम आगे यह घोषणा करती हूँ/करता हूँ/करते हैं कि कंपनी द्वारा मेरे पर बकाया ऋण या कंपनी द्वारा मेरे पक्ष में सृजित देयता सद्भाव में तथा कंपनी के कारबार की सामान्य विधि में है।

मुझे/हमें विश्वास है कि यह स्कीम किन्हीं भी प्रतिभूत/अप्रतिभूत लेनदारों के मामले में भी मुझे/हमें कोई कपटपूर्ण अधिमान नहीं देती है।

तारीख :

लेनदार/लेनदारों के हस्ताक्षर

स्थान :

प्ररूप संख्या सीएए-2

[धारा 230(3) और नियम 6 और नियम 7 के अनुसरण में]

20 की कंपनी याचिका सं.

..... आवेदक

लेनदारों या सदस्यों की बैठक की सूचना और नोटिस का विज्ञापन

यह नोटिस दी जाती है कि तारीख 20 के एक आदेश द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने उक्त कंपनी और उपर्युक्त कंपनी [यहां लेनदारों और सदस्यों की उस वर्ग का उल्लेख करें जिनके साथ समझौता या ठहराव या समामेलन किया जाना है] के बीच [यहां 'डिबेंचर धारक, या 'प्रथम डिबेंचर धारक' या 'द्वितीय डिबेंचर धारक' या 'अप्रतिभूत लेनदारों' या 'प्रतिभूत लेनदारों' या 'अधिमान यथास्थिति शेयरधारकों' या 'साम्या शेयरधारकों' जिनकी बैठक या बैठकें आयोजित की जानी हैं, का उल्लेख करें] प्रस्तावित समझौते और ठहराव पर विचार करने, और यदि उचित माना जाता है तो, संशोधन सहित या संशोधन के बिना अनुमोदित करने के लिए उक्त कंपनी की एक बैठक (या पृथक बैठकों) के आयोजन का निदेश दिया है।

उक्त आदेश और उसमें निदेशितनुसार के अनुसरण में आगे यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त कंपनी की एक बैठक [यहां उन लेनदारों या सदस्यों की वर्ग निर्दिष्ट करें, जिनकी बैठक आयोजित की जानी है] तारीख20..... को बजे, स्थान पर आयोजित की जाएगी, उक्त व्यक्तियों (यहां लेनदारों या सदस्यों के वर्ग का उल्लेख करें) से इसमें उपस्थित होने का अनुरोध है [जहां लेनदारों या सदस्यों की श्रेणियों की पृथक बैठक आयोजित की जानी है, वहां प्रत्येक मामले में बैठक का स्थान, तारीख और समय को पृथक रूप से निर्दिष्ट करें]

उक्त समझौते या ठहराव या समामेलन तथा विवरण की प्रतियां धारा 230 के अधीन कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री के के कार्यालय से मुफ्त प्राप्त की जा सकती है। बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए अधिकृत लोग, व्यक्तिगत रूप से या परोक्षी द्वारा मत दे सकते हैं बशर्ते कि सभी परोक्षी को निर्धारित प्ररूप में बैठक से न्यूनतम 48 घंटे पहले कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में प्रस्तुत गया हो।

परोक्षी के प्ररूप कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

अधिकरण ने श्री और उनकी अनुपस्थिति में श्री को उक्त बैठक (या विभिन्न बैठकों) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यदि ऊपर उल्लिखित समझौते या ठहराव या समामेलन को बैठक द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो इसके बाद अधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

तारीख

बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष

(या जैसा भी मामला हो)

प्ररूप संख्या सीएए-3

[धारा 230(5) और नियम 8 के अनुसरण में]

..... के समझौते और/या ठहराव के मामले में
केन्द्रीय सरकार, नियामक प्राधिकारियों को नोटिस

सेवा में,

केन्द्रीय सरकार/

कंपनी रजिस्ट्रार/

आयकर प्राधिकरण/

[सभी मामलों में]

भारतीय रिजर्व बैंक/

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/

..... शेयर बाजार/

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग/

[जैसा लागू हो] अन्य क्षेत्रीय नियामक या प्राधिकरण..... [जैसा अधिकरण द्वारा अपेक्षित हो]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह नोटिस दी जाती है कि इस अधिनियम की धारा 230 की उपधारा (1) के अधीन तारीख के एक आदेश द्वारा में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण की न्यायपीठ द्वारा निदेशितनुसार समझौता और/या ठहराव की स्कीम पर विचार करने के लिए (कंपनी का नाम) के सदस्यों और/या लेनदारों की के साथ तारीख को में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, नोटिस तथा इस समझौते या ठहराव के स्कीम की एक प्रति संलग्न की जा रही है।

आपको सूचित किया जाता है कि प्रस्तावित समझौते और/या ठहराव के संबंध में अभ्यावेदन, यदि कोई हो तो को इस नोटिस प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अधिकरण में भेजा जाए। साथ ही, अभ्यावेदन की प्रति संबंधित कंपनी (कंपनियों) को भेजी जाए।

यदि तीस दिनों की उल्लिखित अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि आपके पास समझौते या ठहराव की प्रस्तावित स्कीम पर कोई अभ्यावेदन नहीं है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

तारीख

स्थान

अनुलग्नक: i) धारा 230(3) के अधीन अपेक्षितानुसार विवरण सहित नोटिस की प्रति

ii) समझौते या ठहराव की स्कीम की प्रति।

प्ररूप संख्या सीएए-4

[धारा 13(2) और नियम 14 के अनुसरण में]

कंपनी याचिका सं. 20

..... आवेदक

अध्यक्ष द्वारा बैठक में निर्णय की रिपोर्ट :

मैं, उपर्युक्त कंपनी के (डिबेंचर धारकों या प्रथम डिबेंचर धारकों या द्वितीय डिबेंचर धारकों या अप्रतिभूत लेनदारों या प्रतिभूत लेनदारों या अधिमान शेयरधारकों या साम्या शेयरधारकों) की बैठक, जो आदेश द्वारा समन भेजने पर और तारीख की विज्ञप्ति द्वारा तारीख को आयोजित की गई थी, के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए इस माननीय अधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया है और इस माननीय अधिकरण को निम्नानुसार रिपोर्ट करता हूँ कि—

1. उक्त बैठक में उक्त कंपनियों के भागीदारों [यहां लेनदारों की संख्या या लेनदारों की वर्ग या सदस्यों की संख्या या सदस्यों की वर्ग का उल्लेख करें] द्वारा या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर परोक्षी रूप से बैठक में [यहां यदि लेनदारों की बैठक थी तो ऋण या डिबेंचरों का कुल मूल्य और यदि सदस्यों की बैठक थी तो शेयरों की कुल संख्या और मूल्य का उल्लेख करें] जो कंपनी के ऋण या डिबेंचर या शेयर के मूल्य का [प्रतिशत] दर्शाता है, का निर्धारण करने के लिए भाग लिया गया था।)
2. मेरे द्वारा बैठक में समझौता या ठहराव को पढ़ा और समझाया गया था, और उक्त बैठक में भेजा गया प्रश्न था कि क्या उक्त कंपनी के (यहां लेनदारों या सदस्यों की वर्ग का उल्लेख करें) ने बैठक में प्रस्तुत किए गए समझौते या ठहराव को अनुमोदित कर दिया गया और उस पर सहमति दे दी गई है।
3. उक्त बैठक में प्रतिनिधित्व कर रहे तीन चौथाई व्यक्तियों के बहुमत का यह मानना है कि समझौता या ठहराव को अनुमोदित और स्वीकृत किया जाना चाहिए। उक्त प्रश्न पर मतदान का परिणाम निम्नानुसार था :

नीचे उल्लिखित [यहां उन लेनदारों या सदस्यों की वर्ग का उल्लेख करें जो बैठक में उपस्थित थे] ने अंगीकृत और लागू किए जाने वाले प्रस्तावित समझौते या कारबार के पक्ष में मत दिया :

लेनदार या सदस्य का नाम	पता	ऋण का मूल्य (या धारित अधिमान या साम्या शेयरों की संख्या)	मतों की संख्या

नीचे उल्लिखित [यहां उन लेनदारों या सदस्यों की वर्ग का उल्लेख करें जो बैठक में उपस्थित थे] ने अंगीकृत और लागू किए जाने वाले प्रस्तावित समझौते या कारबार के विपक्ष में मत दिया :

लेनदार या सदस्य का नाम	पता	ऋण का मूल्य (या धारित अधिमान या साम्या शेयरों की संख्या)	मतों की संख्या

तारीख

हस्ताक्षरित/-

अध्यक्ष

****यदि समझौता या ठहराव संशोधनों सहित अनुमोदित किया गया तो इसका इस तरह विवरण किया जाना चाहिए और किए गए संशोधनों को और संशोधनों पर मतदान के व्यौरों को भी वर्णित किया जाना चाहिए।**

प्ररूप संख्या सीएए-5

[धारा 230 और नियम 15(1) के अनुसरण में]

[प्ररूप एनसीएलटी. 4 के अनुरूप शीर्षक]

समझौते या ठहराव की स्वीकृति के लिए याचिका

..... लिमिटेड, (इसके समापक द्वारा समापनाधीन) उपर्युक्त याची की याचना निम्नलिखित है :-

1. इस याचिका का उद्देश्य एक समझौते या ठहराव के लिए अधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करना है जिसके द्वारा (यहां समझौते या ठहराव की प्रकृति निर्धारित करें)।
2. यह कंपनी [.....] अधिनियम, [.....] के अधीन [.....] रु के शेयरों की एक न्यूनतम राशि के साथ निगमित की गई थी, जिनमें प्रत्येक के [.....] शेयर जारी किए गए थे और जारी प्रत्येक शेयर की चूकता पूंजी [.....] रु. थी।
3. जिन उद्देश्यों के लिए यह कंपनी बनाई गई थी, वे कंपनी के समझौता ज्ञापन में वर्णित किए गए अनुसार हैं। वे इस प्रकार हैं : (प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करें)
4. [यहां कंपनी द्वारा किए जाने वाले कारबार, इसकी वित्तीय स्थिति और समझौता या ठहराव को आवश्यक बनाने वाली उन परिस्थितियों और समझौते या ठहराव द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लोगों तथा इसके प्रभाव का वर्णन करें]।
5. समझौते या ठहराव निम्नलिखित शर्तों के अनुसार था –
[यहां समझौते या ठहराव की शर्तों का वर्णन करें]।
6. याची को [.....] के द्वारा आदेश द्वारा कंपनी के [यहां लेनदारों या सदस्यों की वर्ग का वर्णन करें] के उपर्युक्त मामले पर विचार करने और यदि उचित माना जाता है तो, संशोधन सहित या संशोधन के बिना अनुमोदित करने के लिए एक बैठक का आयोजन करने का निदेश दिया गया था। उक्त समझौता या ठहराव और उक्त आदेश यह आदेश देता है कि [.....] या उसकी अनुपस्थिति में [.....] को उक्त बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना चाहिए और इसके परिणामों की रिपोर्ट इस अधिकरण को देनी चाहिए।
7. बैठक के नोटिस आदेश द्वारा अपेक्षितनुसार [यहां उन लेनदारों या सदस्यों का उल्लेख करें जिन्हें नोटिस भेजी गई थी] को समझौते या ठहराव की एफ प्रति और अधिनियम की धारा 230 के साथ पठित धारा 231, 232 द्वारा अपेक्षित विवरण और परोक्षी के एक प्ररूप सहित भेजी गई थी। बैठक की नोटिस (यहां समाचार पत्रों का वर्णन करें) में उक्त आदेश में निदेशानुसार विज्ञापित भी किया गया था।

8. [.....] पर, उक्त आदेश के अनुसरण में सम्यक् रूप से बुलाई गई कंपनी [यहां उन लेनदारों या सदस्यों की वर्ग का वर्णन करें] जिसकी बैठक बुलाई गई थी। की बैठक का आयोजन [.....] पर किया गया था और उक्त [.....] ने बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

9. उक्त [.....] ने बैठक के परिणाम की इस मानवीय अधिकरण को रिपोर्ट दी है।

10. उक्त बैठक में (यहां यथास्थिति लेनदारों या सदस्यों, की उस वर्ग का वर्णन करें जिन्होंने बैठक में या तो व्यक्तिगत या परोक्षी रूप से भाग लिया) ने भाग लिया और उनके [यहां यथास्थिति ऋणों, डिबेंचरों या शेयरों, का उल्लेख करें] का कुल मूल्य [.....] रु. है [शेयरों के मामले में, शेयरों की कुल संख्या और मूल्य का उल्लेख किया जाए] जो कंपनी के ऋण या डिबेंचर या शेयर के कुल मूल्य का [प्रतिशत] दर्शाता है। उक्त समझौता या ठहराव उक्त [.....] द्वारा बैठक में पढ़ा और स्पष्ट किया गया था और इसे निर्विवाद रूप से [या [.....] मतों के विरुद्ध [.....] मतों के बहुमत द्वारा] निम्नानुसार पारित किया गया – [यहां संकल्प के पारित किए जाने का वर्णन करें]

11. समझौते या ठहराव की स्वीकृत कंपनी के हित के लिए होगी।

12. इस याचिका की नोटिस किसी व्यक्ति को तामील की आवश्यकता नहीं है। इसलिए याची प्रार्थना करता है—

(1) कि उक्त समझौते या ठहराव को अधिकरण द्वारा स्वीकृति दी जाए ताकि उक्त कंपनी के सभी [यहां कंपनी के उन लेनदारों या सदस्यों की वर्ग लिखें जिनके लिए समझौता या ठहराव आवद्ध किया जाना है] और उक्त कंपनी पर आवद्ध किए जाएं।

(2) अथवा ऐसा अन्य आदेश किए जाएं जो अधिकरण ठीक समझे।

सत्यापन आदि:-

याची

याची [टिप्पण: (1) पक्ष में लगाए गए शपथ पत्र को याचिका का सत्यापन करना चाहिए और पहले शपथ-पत्र में प्रमाणित नहीं किए गए किन्हीं मामलों, जैसे कि विज्ञापन, बैठकों का आयोजन नोटिसों की प्रविष्टि, समझौते या ठहराव तथा प्रोविसीयों की प्रति आदि को प्रमाणित करना चाहिए, और अध्यक्ष की रिपोर्ट को दिखाना और उसका सत्यापन करना चाहिए।

टिप्पण: (2) यदि कंपनी परिसमाप्त की जा रही है, तो इसे कथित करें।

टिप्पण: (3) यदि बैठक में समझौते या ठहराव में कोई उपांतरण किया जाता है तो उनका वर्णन तथा पैरा में किया जाना चाहिए।

*कंपनी परिसमाप्त की जा रही है अंतःस्थापित किया जाए।

प्ररूप संख्या सीएए-6

[धारा 230(7) और नियम 17 के उपनियम (3) के अनुसरण में]

[प्ररूप एनसीएलटी. 4 के अनुरूप शीर्षक]

याचिका पर आदेश

उक्त याचिका पढ़े जाने पर को उपरोक्त याचिका की सुनवाई हेतु तारीख आने पर, तारीख आदेश जिसके द्वारा उक्त कंपनी (या उक्त कंपनी के समापक) को विकास के प्रयोजन के लिए उपरोक्त कंपनी के लेनदारों अथवा डिबेंचरधारकों अथवा अधिमान शेयरधारकों अथवा साम्या शेयरधारकों की बैठक (या अलग बैठक) बुलाने का आदेश दिया गया था और यदि उपयुक्त समझा जाए तो, और उक्त कंपनी के बीच समझौता या ठहराव की प्रस्तावित तारीख और तारीख के शपथपत्र के साथ उपाबद्ध स्कीम पर विचार करने और संशोधनों के साथ अथवा संशोधनों के बिना, अनुमोदन करे और (यहां उल्लिखित समाचार पत्र) तारीख को प्रत्येक समाचार पत्र में उक्त बैठकें आयोजित करने का प्रकाशन और प्रेषण दर्शाने वाली तारीख को फाइल के शपथ-पत्र के तारीख के उक्त आदेश द्वारा आयोजित करने के लिए निदेशित उक्त बैठकों के आयोजन के विज्ञापन से संबंधित प्रकाशन, उक्त बैठकों के परिणामों पर, तारीख को उक्त बैठकों के अध्यक्ष/अध्यक्षों की रिपोर्टों, (श्री अधिवक्ता को सुनने पर) और उपर्युक्त रिपोर्ट से यह प्रतीत होने पर कि प्रस्तावित समझौता या ठहराव अनुमोदित की गई है (यहां यह उल्लेख करें कि यथास्थिति सर्वसम्मति से अथवा लेनदारों या लेनदारों की वर्ग अथवा सदस्यों अथवा सदस्यों की वर्ग, उपस्थित और स्वयं मतदान करने वाले अथवा परोक्षियों के माध्यम से या डाक मत पत्र द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने वाले के मूल्य के न्यूनतम तीन-चौथाई के बहुमत द्वारा अनुमोदित हैं)।

यह अधिकरण एतद्द्वारा याचिका के पैरा और अनुसूची में उपवर्णित समझौते या ठहराव को स्वीकृत करता है और यह इसके द्वारा घोषणा करता है कि उसे ऊपर लिखित कंपनी (यहां लेनदारों या सदस्यों की वर्ग लिखें जिन पर यह लागू किया जाना है) और उक्त कंपनी (और इसके समापक) पर भी लागू किया जाए।

और यह अधिकरण आगे यह आदेश देता है कि –

[यहां समझौते या ठहराव को जारी रखने के संबंध में अधिकरण द्वारा दिए गए किन्हीं निदेशों या संशोधनों को प्रविष्ट करें]

और यह कि समझौते या ठहराव के पक्ष या अन्य हितबद्ध व्यक्ति, समझौते या ठहराव के कार्यकरण के संबंध में आवश्यक किन्हीं निदेशों के लिए इस अधिकरण को आवेदन कर सकने के लिए स्वतंत्र होंगे, और

और यह कि उक्त कंपनी (या उक्त कंपनी का समापक) आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगी।

अनुसूची

अधिकरण द्वारा यथास्वीकृत समझौते या ठहराव की स्कीम

तारीख

(अधिकरण द्वारा)

रजिस्ट्रार

जहां कंपनी का परिसमापन किया जा रहा है वहां अंतःस्थापित किया जाए। जहां समझौते या ठहराव को संशोधनों सहित अनुमोदित किया गया है, वहां ऐसा कथित किया जाना चाहिए

प्ररूप संख्या सीएए-7

[धारा 232 और नियम 20 के अनुसरण में]

[प्ररूप संख्या एनसीएलटी. 4 के अनुरूप शीर्षक]

धारा 232 के अधीन आदेश

उपरोक्त याचिका [और आवेदन] की तारीख को पढ़े जाने पर आदि; और सुनवाई आदि के लिए आने वाली अगली सुनवाई यह अधिकरण यह आदेश करता है

(1) इस अनुसूची के पहले, दूसरे और तीसरे भागों में विनिर्दिष्ट अंतरक कंपनी की सभी संपत्तियां, अधिकार और शक्तियां और अंतरक कंपनी की अन्य सभी संपत्तियां, अधिकार और शक्तियां बिना किसी और कार्य या कृत्य के अंतरिती कंपनी को अंतरित किए जाएं और तदनुसार अधिनियम की धारा 232 के अनुसरण में इन्हें अंतरक कंपनी के संपूर्ण संपदा और हित अंतरिती कंपनी में अंतरित और निहित किए जाएंगे तथापि अतिरिक्त (यहां वे प्रभार निर्धारित करें जो समझौते या ठहराव के आधार पर प्रभावित करने के लिए होते हैं) प्रभावित करने वाले सभी प्रभारों पर आधारित होंगे; और

(2) अंतरक कंपनी के सभी दायित्वों और कर्तव्यों के बिना किसी और कार्य और कृत्य के अंतरिती कंपनी में अंतरित किया जाए और अधिनियम की धारा 232 के अनुसरण में इसे तदनुसार अंतरिती कंपनी द्वारा अंतरित किया जाएगा और अंतरिती कंपनी के दायित्व और कर्तव्य बन जाएंगे; और

(3) अंतरक कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ अब लम्बित सभी कार्यवाहियों को अंतरिती कंपनी द्वारा या खिलाफ जारी रखा जाए।

(4) अंतरिती कंपनी बिना किसी और आवेदन के समझौते या ठहराव के खंड _____ द्वारा अपेक्षित मतभेद की ऐसी नोटिस दिए बिना अंतरक कंपनी के ऐसे सदस्यों को अंतरिती कंपनी में शेर अंतरण करेंगे जिसके वे उक्त समझौते या ठहराव के अधीन हकदार हैं; और

(5) इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर अंतरक कंपनी द्वारा इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए कंपनी रजिस्ट्रार को सौंपी जाएगी और ऐसी प्रमाणित प्रति को इस तरह सौंपे जाने पर अंतरक कंपनी को विघटित किया जाएगा और कंपनी रजिस्ट्रार अंतरक कंपनी से संबंधित और उसके पास रजिस्ट्रीकृत सभी दस्तावेजों को अंतरिती कंपनी के संबंध में उसके द्वारा रखी गई फाइल में और उक्त दोनों कंपनियों से संबंधित फाइलों में तदनुसार समेकित करेगा; और

(6) हितबद्ध कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त मामले में ऐसे किन्हीं भी निदेशों, जो आवश्यक हो सकते हैं, के लिए अधिकरण में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अनुसूची

पहला भाग

(अंतरक कंपनी की पूर्ण स्वामित्व संपत्ति का संक्षिप्त विवरण अंतःस्थापित करें)

दूसरा भाग

(अंतरक कंपनी की पट्टाधृत संपत्ति का संक्षिप्त विवरण अंतःस्थापित करें)

तीसरा भाग

(अंतरक कंपनी के कार्यों में सभी स्टॉक, शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रभागों का संक्षिप्त विवरण अंतःस्थापित करें)

तारीख:

(अधिकरण द्वारा)

(रजिस्ट्रार)

*यदि अधिकरण निदेश देता है कि अंतरक कंपनी किसी अन्य तारीख से विघटित की जाए तो यह खंड तदनुसार परिवर्तित किया जाएगा।

प्ररूप संख्या सीएए-8**[धारा 232(7) और नियम 21 के अनुसरण में]**

..... के समझौते और/या ठहराव के मामले में
कंपनी रजिस्ट्रार को दायर किया जाने वाला विवरण

1. (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) :
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन) :
2. (क) कंपनी का नाम :
(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :
(ग) कंपनी का ई-मेल पता :
3. इस स्कीम का अनुमोदन करने वाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की तारीख :
4. धारा 232(3) के अधीन स्कीम को अनुमोदित करने वाले अधिकरण के आदेश की तारीख:
5. निम्नलिखित से संबंधित ब्यौरा :
(क) आदेश के अधीन पूरी की गई कार्रवाईयां
(ख) इस आदेश के अधीन लंबित कार्रवाई, स्थिति सहित

अधिकरण के आदेशानुसार स्कीम के अनुपालन की घोषणा

मैं, निदेशक/कंपनी सचिव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता/करती हूं और घोषणा करता/करती हूं कि हम इस अधिकरण के तारीख के आदेश की अनुपालना कर रहे हैं।

समझौते या ठहराव की स्कीम की एक प्रति संलग्न है।

.....
निदेशक/कंपनी सचिव
.....

व्यवसायगत चार्टर्ड एकाउंटेंट/ व्यवसायगत लागत लेखाकार/ व्यवसायगत कंपनी सचिव

तारीख:

स्थान:

संलग्नक:-

1. समझौते या व्यवस्था की स्कीम
2. स्कीम की अनुपालना का ब्यौरा
3. अन्य संलग्नक, यदि कोई है।

प्ररूप संख्या सीएए-9

[धारा 233(1)(क) और नियम 25(1) के अनुसरण में]

आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की स्कीम की सूचना

एतद्वारा मैसर्स [.....](अंतरक/अंतरिती कंपनी) द्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स [.....](अंतरक/अंतरिती कंपनी) के साथ विलयन/समामेलन की स्कीम प्रस्तावित है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 की उपधारा(1)(क) के अनुसरण में इस स्कीम के संबंध में सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं।

विलयन या समामेलन की स्कीम की एक प्रति संलग्न की गई है।

निम्नलिखित से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित हैं :-

- (i) रजिस्ट्रार (उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार का ब्यौरा दें, जहां अंतरक/अंतरिती कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है);
- (ii) शासकीय समापक (उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार का ब्यौरा दें, जहां अंतरक/अंतरिती कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है);
- (iii) [कोई भी व्यक्ति, जिसका इस प्रस्तावित स्कीम से हित प्रभावित होने की संभावना हो]।

(ऊपर (i), (ii) या (iii) में उल्लिखित कोई भी व्यक्ति इस स्कीम के संबंध में सुझाव या आपत्तियां देने का इच्छुक इस सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर अपने सुझाव और आपत्तियां [.....] (केंद्रीय सरकार (पता) और अंतरक कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री _____ (पता) का ब्यौरा दें) को भेजें।

तारीख :

स्थान:

हस्ताक्षरित/-

(अंतरक कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के ब्यौरे का उल्लेख करें)

संलग्नक: विलयन या समामेलन स्कीम की एक प्रति

प्ररूप सं सीएए. 10

[धारा 233(1) (ग) और नियम 25(2) के अनुसरण में]

शोधन क्षमता की घोषणा

1. (क) कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन):

(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन):

2. (क) कंपनी का नाम:

(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

(ग) कंपनी का ई-मेल पता:

3. (क) क्या कंपनी सूचीबद्ध है:

- हाँ
- नहीं

(ख) यदि सूचीबद्ध है, कृपया उस स्टॉक एक्सचेंज(जों) का नाम विनिर्दिष्ट करें जहां यह कंपनी सूचीबद्ध है:

4. स्कीम को अनुमोदित करने वाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की तारीख:

शोधन क्षमता की घोषणा

हम, निदेशक मैसर्स सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं और यह घोषणा करते हैं कि हमने इस कंपनी के कार्यों की पूर्ण जांच की है और हमारी यह राय है कि यह कंपनी कर्ज की स्थिति में भी अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है और इस कंपनी को इस घोषणा की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिवालिया नहीं बनाया जाएगा।

हम, इस घोषणा की नवीनतम तारीख तक कंपनी की आस्तियों और दायित्वों की एक लेखा परीक्षा ब्यौरा संलग्न करते हैं।

हम यह और घोषणा करते हैं कि तुलनपत्र सहित कंपनी की लेखा संपरीक्षित वार्षिक लेखा को आज की तारीख तक कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष फाईल कर दिया गया है।

निदेशक बोर्ड की ओर से हस्ताक्षरित

(1) हस्ताक्षर:..... तारीख

नाम: स्थान:.....

प्रबंध निदेशक, यदि कोई हो

(2) हस्ताक्षर

नाम

निदेशक

(3) हस्ताक्षर

नाम

निदेशक

सत्यापन

हम सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि हमने इस कंपनी की अस्तियों और दायित्वों सहित कंपनी के कार्यों की पूर्ण जांच कर ली है और ऐसा करने के बाद और यह नोट करने के बाद कि और के बीच विलयन या समामेलन स्कीम शामिल है को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 233 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित हेतु कंपनी के शेयर धारकों और लेनदारों के समक्ष रखने का प्रस्ताव है, हम इसे सत्य मानते हुए इस बात की घोषणा करते हैं।

तारीख20..... को सत्यापित किया गया

(1) हस्ताक्षर.....

नाम

प्रबंधक निदेशक

(2) हस्ताक्षर

नाम

निदेशक

(3) हस्ताक्षर

नाम

निदेशक

.....20..... को में मेरे समक्ष सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा एवं घोषणा की गई है।

शपथ आयुक्त और

नोटरी पब्लिक

संलग्नक:

क) बोर्ड के संकल्प की प्रति

ख) अस्तियों और दायित्वों का ब्यौरा

ग) अस्तियों और दायित्वों के ब्यौरा पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

अनुलग्नक

..... तक आस्तियों और दायित्वों का ब्यौरा

कंपनी का नाम

आस्तियां

बही

अनुमानित

मूल्य

प्राप्य मूल्य

- 1 बैंक में शेष राशि
- 2 रोकड़ शेष
- 3 विपण्य प्रतिभूति
- 4 प्राप्य बिल
- 5 व्यापार देनदार
- 6 ऋण एवं अग्रिम
- 7 अदत्त मांगें
- 8 व्यापार स्टॉक
- 9 चालू कार्य
- 10 पूर्ण स्वामित्व संपत्ति
- 11 पट्टे वाली संपत्ति
- 12 प्लांट एवं मशीनरी
- 13 फर्नीचर, साज सामान, बर्तन आदि
- 14 पेटेंट, व्यापार चिन्ह आदि
- 15 विपण्य प्रतिभूतियों के अलावा अन्य निवेश
- 16 अन्य संपत्ति

.....

कुल:

.....

दायित्व

भुगतान के दर्जे के लिए अनुमानित

(निकटतम रूप में)

1. विनिर्दिष्ट आस्तियों पर प्रतिभूत
2. चल प्रभार(रों) द्वारा प्रतिभूत
3. समापन और ऋणों के संपूर्ण भुगतान होने तक प्रोद्भूत ब्याज सहित अन्य व्ययों की अनुमानित लागत

4. अप्रतिभूत लेनदार

(भुगतान के दर्जे के लिए

अनुमानित राशि)

(क) व्यापार खाता

(ख) देय बिल

(ग) प्रोद्भूत व्यय

(घ) अन्य दायित्व

(ङ) आकस्मिक दायित्व

.....

कुल:

.....

आस्तियों का कुल अनुमानित मूल्य

रुपए

कुल दायित्व

रुपए

ऋण के संपूर्ण भुगतान के

पश्चात् अनुमानित अधिशेष

रुपए

टिप्पणी

(1) हस्ताक्षर:

नाम

प्रबंध निदेशक

(2) हस्ताक्षर:

नाम

निदेशक

(3) हस्ताक्षर:

नाम

निदेशक

स्थान:

तारीख

प्ररूप संख्या सीएए. 11

[धारा 233(2) और नियम 25(4) के अनुसरण में]

विलयन स्कीम के अनुमोदन की सूचना

(केंद्रीय सरकार, रजिस्ट्रार और शासकीय समापक के समक्ष अंतरिती कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

1. (क) कारपोरेट पहचान संख्यांक (सीआईएन) :

(ख) वैश्विक स्थान संख्यांक (जीएलएन) :

2. (क) अंतरिती कंपनी का नाम

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता

(ग) ई-मेल पता:

3. क्या अंतरक और अंतरिती कंपनियां

- छोटी कंपनियां
- नियंत्रि और पूर्ण स्वामित्व प्राप्त समानुषंगी कंपनियां

4. अंतरक का ब्यौरा है :

क) कारपोरेट पहचान संख्यांक (सीआईएन) :

ख) वैश्विक स्थान संख्यांक (जीएलएन) :

कंपनी का नाम:

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता:

ई-मेल पता:

5. विलयन संबंधी समझौता या ठहराव का संक्षिप्त ब्यौरा:

6. अंतरिती कंपनी द्वारा विलयन स्कीम के अनुमोदन का ब्यौरा:

(क) सदस्यों द्वारा अनुमोदन

- (i) सदस्यों को सूचना भेजने की तारीख
- (ii) साधारण बैठक की तारीख
- (iii) साधारण बैठक में स्कीम के अनुमोदन की तारीख
- (iv) (कम से कम दस में से नौ सदस्यों) के बहुमत से अनुमोदित

(ख) लेनदारों द्वारा अनुमोदन

- (i) लेनदारों को सूचना भेजने की तारीख
- (ii) लेनदारों की बैठक तारीख
- (iii) लेनदारों की बैठक में स्कीम के अनुमोदन की तारीख
- (iv) (लेनदारों के मूल्य में कम से कम 9/10) के बहुमत से अनुमोदित

7. अंतरक कंपनी द्वारा विलयन स्कीम के अनुमोदन का ब्यौरा:

(क) सदस्यों द्वारा अनुमोदन

- (i) सदस्यों को सूचना भेजने की तारीख
- (ii) साधारण बैठक की तारीख
- (iii) साधारण बैठक में स्कीम के अनुमोदन की तारीख
- (iv) (कुल शेयरों की संख्या का न्यूनतम 90% रखने वाले सदस्यों या सदस्यों के वर्ग) के बहुमत से अनुमोदित

(ख) लेनदारों द्वारा अनुमोदित

- (i) लेनदारों को सूचना भेजने की तारीख
- (ii) लेनदारों की बैठक तारीख
- (iii) बैठक में स्कीम के अनुमोदन की तारीख
- (iv) (लेनदारों के मूल्य में कम से कम 9/10) के बहुमत से अनुमोदित

घोषणा

मैं अंतरिती कंपनी का निदेशक यह घोषणा करता हूँ कि -

(i) धारा 233(1)(क) के अधीन यथाअपेक्षित, स्कीम की सूचना को उस स्थान जहां अंतरक या अंतरिती कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, के रजिस्ट्रार और शासकीय समापक और अन्य व्यक्तियों जिनका इस स्कीम द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, को सम्यक रूप में भेज दिया गया है और इसकी एक प्रति संलग्न है;

(ii) संबंधित व्यक्तियों की समाधान के लिए स्कीम पर आक्षेपों को सम्यक रूप में रखा गया है।

(iii) स्कीम को क्रमशः धारा 233(1)(ख) और (घ) के अनुसरण में अपेक्षित बहुमत द्वारा अंतरिती और अंतरक कंपनी के सदस्यों और लेनदारों द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(iv) अधिनियम की धारा 233 और उसमें बनाए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है; और

(v) मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन और इसके संलग्नक में दी गई सूचना सही एवं संपूर्ण है।

तारीख :

स्थान:

हस्ताक्षर

संलग्नक :

1. लेनदारों एवं सदस्यों द्वारा अनुमोदित स्कीम की प्रति;
2. धारा 233(1)(क) के अनुसरण में भेजी गई सूचना;
3. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।

प्ररूप संख्या सीएए. 12**[धारा 233 और नियम 25(5) के अनुसरण में]**

मैसर्स और मैसर्स

के मध्य विलयन स्कीम या समामेलन का पुष्टि आदेश

धारा 233 के उपबंधों के अनुसरण में मैसर्स (अंतरक कंपनी) और मैसर्स (अंतरिती कंपनी) के बीच उनके सदस्यों और लेनदारों द्वारा अनुमोदित ठहराव, व्यवस्था या विलयन स्कीम को जो कि धारा 233(1)(ख) और (घ) में अपेक्षित है, पुष्टि की गई है और यह स्कीम तारीख 20 से प्रभावी होगा।

इस आदेश के साथ अनुमोदित स्कीम की प्रति संलग्न की गई है।

हस्ताक्षर मुहर के साथ

तारीख :

स्थान:

प्ररूप संख्या सीएए. 13

[धारा 233(5) और नियम 25(6) के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकरण को आवेदन

[प्ररूप एनसीएलटी.4 के अनुसार शीर्षक]

(आवेदक का नाम और पता)

उन व्यक्तियों के नाम और पते बताएं जिन्हें इस संदर्भ के निपटान में सुनवाई किए जाने का मौका दिया जाएगा।

(टिप्पण : कृपया ऊपर उल्लिखित नामों के संदर्भ आवेदन की सभी अतिरिक्त प्रतियां संलग्न करें।)

इसके साथ संलग्न दस्तावेजों से उपलब्ध सूचना के आधार पर –

1. आवेदक, एदद्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के तहत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण,..... पीठ को संदर्भ करता है।

2. आवेदक निम्नलिखित के बारे में बताएं –

(यहां मामले के तथ्यों का संक्षिप्त में वर्णन करें)

3. आवेदक का निवेदन निम्नानुसार है :-

(प्रस्तुतीकरण)

4. आवेदक ने यहां दस्तावेजों या उनकी प्रतियों को नीचे यथा विनिर्दिष्ट संलग्न किया है :-

स्थान :-

तारीख : आवेदक का हस्ताक्षर

दस्तावेजों की सूची

1.

2.

3.

प्ररूप संख्या सीएए. 14

[धारा 235(1) और नियम 26 के अनुसरण में]

विसम्मत शेयरधारकों को सूचना

सेवा में,

.....

.....

मैसर्स (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अंतरक कंपनी' कहा जाएगा) में आपके द्वारा धारित शेयरों के अधिग्रहण के लिए सूचना

यह सूचना मैसर्स (जिसे इसमें इसके पश्चात 'अंतरिती कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा दी जाती है कि मूल्य पर शेयरों या शेयरों की श्रेणियों के अधिग्रहण के लिए अंतरक कंपनी के सभी शेयरधारकों को पर अंतरिती कंपनी द्वारा दिए गए प्रस्ताव को धारकों द्वारा शेयर के मूल्य के अनुसार अनुमोदित कर दिया गया है, जो उक्त शेयर के मूल्य के 90% से कम नहीं होना चाहिए। (अंतरिती कंपनी द्वारा स्वयं या सके नामित या समानुषंगी कंपनियों द्वारा प्रस्ताव की तारीख तक धारित शेयरों के अलावा)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 235 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में यह सूचना भी दी जाती है कि अंतरिती कंपनी रूपए, जो अनुमोदित करने वाले शेयरधारकों को भुगतान की जाने वाली राशि है, में अंतरक कंपनी में आपके द्वारा धारित शेयरों का अधिग्रहण करने को इच्छुक है।

यह भी नोट करे कि यदि आप अंतरिती कंपनी द्वारा आपके शेयरों के ऐसे अधिग्रहण के पक्ष में नहीं हैं तो आप एक महीने के भीतर अधिकरण को आवेदन कर सकते हैं। जब तक आपके द्वारा उपरोक्त आवेदन नहीं किया गया हो या जब तक अधिकरण ऐसे आवेदन को प्राप्त कर की अन्य आदेश न दे, तब तक अंतरिती कंपनी ऊपर उल्लिखित प्रस्ताव को शर्तों पर अंतरक कंपनी में आपके द्वारा धारित उपरोक्त शेयरों को अधिग्रहण करने का हकदार हैं।

तारीख :

स्थान:

हस्ताक्षर:

(अंतरिती कंपनी की ओर से)

प्ररूप संख्या सीएए. 15

[धारा 238(1)(क) और नियम 28 के अनुसरण में]

अंतरक कंपनी से अंतरिती कंपनी में शेयरों या शेयरों के किसी श्रेणी का अंतरण संबंधी किसी स्कीम या संविदा से संबंधित परिपत्र के साथ सूचना प्रस्तुत की जानी है।

अंतरिती कंपनी का ब्यौरा

1. (क) कारपोरेट पहचान संख्यांक :

(ख) वैश्विक स्थान संख्यांक :

2. (क) कंपनी का नाम:

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता:

(ग) ई-मेल पता:

3. क्या यह कंपनी

- सार्वजनिक कंपनी है
- निजी कंपनी है
- एकल व्यक्ति कंपनी है

4. (क) क्या कंपनी के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है:

- हां
- नहीं

(ख) यदि हां, तो उन स्टॉक एक्सचेंजों का नाम बताएं जहां ये शेयर सूचीबद्ध हैं।

5. कंपनी का मुख्य उद्देश्य/प्रधान कारबार

6. कंपनी की मूल संरचना:

प्राधिकृत शेयर पूंजी:

जारी शेयर पूंजी:

अभिदत्त शेयर पूंजी

संदत्त शेयर पूंजी:

7. कंपनी की ऋण संरचना:

8. कंपनी के प्रमोटरों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, निदेशकों का ब्यौरा।

9. वस्तु हित और ऐसे हित पर स्कीम का प्रभाव:

(I) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

(II) प्रमोटर

(III) निदेशक

(IV) डिबेंचर न्यासी

(V) जमा न्यासी

(VI) लेखापरीक्षक

10. (क) अंतरिती कंपनी के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रमोटरों, प्रबंधनों, प्रबंधक निदेशकों की शेयरधारिता की सीमा

शेयरधारक का नाम

स्थिति (क्या निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक आदि है)

शेयर का प्रकार:

शेयरों की संख्या:

प्रति शेयर मूल्य (रुपए)

(ख) अंतरक कंपनी के अंतरिती कंपनी के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रमोटरों, प्रबंधनों, प्रबंधक निदेशकों की शेयरधारिता की सीमा

शेयरधारक का नाम

स्थिति (क्या निदेशक, केएमपी आदि है)

शेयर का प्रकार:

शेयरों की संख्या:

प्रति शेयर मूल्य (रुपए)

11. (क) कंपनी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया प्रस्ताव:

○ हां

○ नहीं

(ख) कंपनी में अन्य व्यक्ति के हित का उल्लेख करें,

अंतरक कंपनी का ब्यौरा

12. (क) कारपोरेट पहचान संख्यांक :

(ख) वैश्विक स्थान संख्यांक

13. (क) कंपनी का नाम:

(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता:

(ग) ई-मेल पता:

14. क्या यह कंपनी:

- सार्वजनिक कंपनी है
- निजी कंपनी है
- एकल व्यक्ति कंपनी है

15. (क) क्या कंपनी के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं :

- हां
- नहीं

(ख) यदि हां, तो उन स्टॉक एक्सचेंजों का नाम बताएं जहां ये शेयर सूचीबद्ध हैं।

16. कंपनी का मुख्य उद्देश्य/प्रधान कारबार :

17. कंपनी की मूल संरचना:

प्राधिकृत शेयर पूंजी:

जारी शेयर पूंजी:

अभिदत्त शेयर पूंजी

प्रदत्त शेयर पूंजी:

18. कंपनी की ऋण संरचना:

19. कंपनी के प्रोमोटर्स, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, निदेशकों का व्यौरा।

20. वस्तु हित और ऐसे हित पर स्कीम का प्रभाव:

- (I) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
- (II) प्रोमोटर
- (III) निदेशक
- (IV) डिबेंचर न्यासी
- (V) जमा न्यासी
- (VI) लेखापरीक्षक

21. (क) अंतरिती कंपनी के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रोमोटर्स, प्रबंधनों, प्रबंधक निदेशकों की शेयरधारिता की सीमा
शेयरधारक का नाम

स्थिति (क्या निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक आदि है)

शेयर का प्रकार:

शेयरों की संख्या:

प्रति शेयर मूल्य (रुपए)

(ख) अंतरक कंपनी के अंतरिती कंपनी के निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रोमोटर्स, प्रबंधनों, प्रबंधक निदेशकों की शेयरधारिता की सीमा

शेयरधारक का नाम

स्थिति (क्या निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक आदि है)

शेयर का प्रकार:

शेयरों की संख्या:

प्रति शेयर मूल्य (रुपए)

22. अंतरक कंपनी और अंतरिती कंपनी के बीच कायम कोई संबंध:

स्कीम का ब्यौरा

23. अंतरक कंपनी के निदेशक द्वारा प्रस्ताव की सिफारिश किए जाने के कारण:

24. प्रतिफल का प्ररूप

कुल प्रतिफल

- नकद
- नकद के अलावा अन्य

25. यदि प्रतिफल नकद के अलावा कुछ और है तो उसका ब्यौरा दें :

26. यदि प्रतिफल में अंतरिती कंपनी में शेयरों का आबंटन शामिल है,

(क) शेयर एक्सचेंज अनुपात:

(ख) अंतरिती कंपनी के शेयरों के मूल्यांकन का आधार:

(ग) शेयरों का संपूर्ण ब्यौरा और उससे संलग्न अधिकार:

27. यदि प्रतिपूर्ति नकद है, तो वह क्षेत्र जिसके माध्यम अंतरिती कंपनी उक्त शेयरों के अधिग्रहण के लिए भुगतान का प्रस्ताव कर रहा है :

घोषणा

मैं/हम अंतरक कंपनी के निदेशक सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार इस ब्यौरा में दी गई सूचना और संलग्नक सही एवं पूर्ण है।

तारीख :

स्थान:

हस्ताक्षर:

संलग्नक:

1. अंतरक कंपनी में उसके निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, प्रोमोटर्स, प्रबंधकों, प्रबंध, निदेशकों द्वारा प्रस्ताव के दो पूर्ववर्ती वर्षों में शेयरों के अंतरण का ब्यौरा;
2. रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा शेयरों के मूल्यांकन का ब्यौरा;
3. इस प्रस्ताव के संबंध में लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र;
4. प्रस्ताव दस्तावेज में अंतरिती कंपनी द्वारा या की ओर से एक ब्यौरा निहित होना चाहिए जिसमें आवश्यक नकद कैसे उपलब्ध कराया जाए को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का प्रकटीकरण हो;
5. नाम में बदलाव, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और अंतरिती कंपनी के उद्देश्यों का ब्यौरा;
6. नाम में बदलाव, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और अंतरक कंपनी के उद्देश्यों का ब्यौरा।

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013/सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2016

G.S.R. 1134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with sections 230 to 233 and sections 235 to 240 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short Title and Commencement.— (1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from 15th December, 2016.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) “Annexure” means the annexure to these rules;

(c) “Form” means a form set forth in annexure “A” to these rules which shall be used for the matter to which it relates, and includes an electronic version thereof;

(d) “Liquidator” means the Liquidator appointed under the Act or under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined herein, and defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 or in the National Company Law Tribunal Rules, 2016, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

3. Application for order of a meeting.—(1) An application under sub-section (1) of section 230 of the Act may be submitted in Form no. NCLT-1 (appended in the National Company Law Tribunal Rules, 2016) along with:-

(i) a notice of admission in Form No. NCLT-2 (appended in the National Company Law Tribunal Rules, 2016);

(ii) an affidavit in Form No. NCLT-6 (appended in the National Company Law Tribunal Rules, 2016);

(iii) a copy of scheme of compromise or arrangement, which should include disclosures as per sub-section (2) of section 230 of the Act; and

(iv) fee as prescribed in the Schedule of Fees.

(2) Where more than one company is involved in a scheme in relation to which an application under sub-rule (1) is being filed, such application may, at the discretion of such companies, be filed as a joint-application.

(3) Where the company is not the applicant, a copy of the notice of admission and of the affidavit shall be served on the company, or, where the company is being wound up, on its liquidator, not less than fourteen days before the date fixed for the hearing of the notice of admission.

(4) The applicant shall also disclose to the Tribunal in the application under sub-rule (1), the basis on which each class of members or creditors has been identified for the purposes of approval of the scheme.

4. Disclosures in application made to the Tribunal for compromise or arrangement.—Creditors Responsibility Statement. - For the purposes of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (2) of section 230 of the Act, the creditor’s responsibility statement in **Form No. CAA. 1** shall be included in the scheme of corporate debt restructuring.

Explanation:- For the purpose of this rule, it is clarified that a scheme of corporate debt restructuring as referred to in clause (c) of sub-section (2) of section 230 of the Act shall mean a scheme that restructures or varies the debt obligations of a company towards its creditors.

5. Directions at hearing of the application.— Upon hearing the application under sub-section (1) of section 230 of the Act, the Tribunal shall, unless it thinks fit for any reason to dismiss the application, give such directions as it may think necessary in respect of the following matters:-

(a) determining the class or classes of creditors or of members whose meeting or meetings have to be held for considering the proposed compromise or arrangement; or dispensing with the meeting or meetings for any class or classes of creditors in terms of sub-section (9) of section 230;

(b) fixing the time and place of the meeting or meetings;

(c) appointing a Chairperson and scrutinizer for the meeting or meetings to be held, as the case may be and fixing the terms of his appointment including remuneration;

(d) fixing the quorum and the procedure to be followed at the meeting or meetings, including voting in person or by proxy or by postal ballot or by voting through electronic means;

Explanation.— For the purposes of these rules, “voting through electronic means” shall take place, *mutatis mutandis*, in accordance with the procedure as specified in rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

- (e) determining the values of the creditors or the members, or the creditors or members of any class, as the case may be, whose meetings have to be held;
- (f) notice to be given of the meeting or meetings and the advertisement of such notice;
- (g) notice to be given to sectoral regulators or authorities as required under sub-section (5) of section 230;
- (h) the time within which the chairperson of the meeting is required to report the result of the meeting to the Tribunal; and
- (i) such other matters as the Tribunal may deem necessary.

6. Notice of meeting.— (1) Where a meeting of any class or classes of creditors or members has been directed to be convened, the notice of the meeting pursuant to the order of the Tribunal to be given in the manner provided in sub-section (3) of section 230 of the Act shall be in **Form No. CAA.2** and shall be sent individually to each of the creditors or members.

(2) The notice shall be sent by the Chairperson appointed for the meeting, or, if the Tribunal so directs, by the company (or its liquidator), or any other person as the Tribunal may direct, by registered post or speed post or by courier or by e-mail or by hand delivery or any other mode as directed by the Tribunal to their last known address at least one month before the date fixed for the meeting.

Explanation: - It is hereby clarified that the service of notice of meeting shall be deemed to have been effected in case of delivery by post, at the expiration of forty eight hours after the letter containing the same is posted.

(3) The notice of the meeting to the creditors and members shall be accompanied by a copy of the scheme of compromise or arrangement and a statement disclosing the following details of the compromise or arrangement, if such details are not already included in the said scheme:-

- (i) details of the order of the Tribunal directing the calling, convening and conducting of the meeting:-
 - (a) date of the Order;
 - (b) date, time and venue of the meeting.
- (ii) details of the company including:
 - (a) Corporate Identification Number (CIN) or Global Location Number (GLN) of the company;
 - (b) Permanent Account Number (PAN);
 - (c) name of the company;
 - (d) date of incorporation;
 - (e) type of the company (whether public or private or one-person company);
 - (f) registered office address and e-mail address;
 - (g) summary of main object as per the memorandum of association; and main business carried on by the company;
 - (h) details of change of name, registered office and objects of the company during the last five years;
 - (i) name of the stock exchange (s) where securities of the company are listed, if applicable;
 - (j) details of the capital structure of the company including authorised, issued, subscribed and paid up share capital; and
 - (k) names of the promoters and directors along with their addresses.
- (iii) if the scheme of compromise or arrangement relates to more than one company, the fact and details of any relationship subsisting between such companies who are parties to such scheme of compromise or arrangement, including holding, subsidiary or of associate companies;
- (iv) the date of the board meeting at which the scheme was approved by the board of directors including the name of the directors who voted in favour of the resolution, who voted against the resolution and who did not vote or participate on such resolution;

- (v) explanatory statement disclosing details of the scheme of compromise or arrangement including:-
- (a) parties involved in such compromise or arrangement;
 - (b) in case of amalgamation or merger, appointed date, effective date, share exchange ratio (if applicable) and other considerations, if any;
 - (c) summary of valuation report (if applicable) including basis of valuation and fairness opinion of the registered valuer, if any, and the declaration that the valuation report is available for inspection at the registered office of the company;
 - (d) details of capital or debt restructuring, if any;
 - (e) rationale for the compromise or arrangement;
 - (f) benefits of the compromise or arrangement as perceived by the Board of directors to the company, members, creditors and others (as applicable);
 - (g) amount due to unsecured creditors.
- (vi) disclosure about the effect of the compromise or arrangement on:
- (a) key managerial personnel;
 - (b) directors;
 - (c) promoters;
 - (d) non-promoter members;
 - (e) depositors;
 - (f) creditors;
 - (g) debenture holders;
 - (h) deposit trustee and debenture trustee;
 - (i) employees of the company:
- (vii) Disclosure about effect of compromise or arrangement on material interests of directors, Key Managerial Personnel (KMP) and debenture trustee.
- Explanation** – For the purposes of these rules it is clarified that-
- (a) the term ‘interest’ extends beyond an interest in the shares of the company, and is with reference to the proposed scheme of compromise or arrangement.
- (b) the valuation report shall be made by a registered valuer, and till the registration of persons as valuers is prescribed under section 247 of the Act, the valuation report shall be made by an independent merchant banker who is registered with the Securities and Exchange Board or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of ten years.
- (viii) investigation or proceedings, if any, pending against the company under the Act.
- (ix) details of the availability of the following documents for obtaining extract from or for making or obtaining copies of or for inspection by the members and creditors, namely:
- (a) latest audited financial statements of the company including consolidated financial statements;
 - (b) copy of the order of Tribunal in pursuance of which the meeting is to be convened or has been dispensed with;
 - (c) copy of scheme of compromise or arrangement;
 - (d) contracts or agreements material to the compromise or arrangement;
 - (e) the certificate issued by Auditor of the company to the effect that the accounting treatment, if any, proposed in the scheme of compromise or arrangement is in conformity with the Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013; and
 - (f) such other information or documents as the Board or Management believes necessary and relevant for making decision for or against the scheme;
- (x) details of approvals, sanctions or no-objection(s), if any, from regulatory or any other governmental authorities required, received or pending for the proposed scheme of compromise or arrangement.
- (xi) a statement to the effect that the persons to whom the notice is sent may vote in the meeting either in person or by proxies, or where applicable, by voting through electronic means.

Explanation- For the purposes of this rule, disclosure required to be made by a company shall be made in respect of all the companies, which are part of the compromise or arrangement.

7. Advertisement of the notice of the meeting.—The notice of the meeting under sub-section (3) of Section 230 of the Act shall be advertised in **Form No. CAA.2** in at least one English newspaper and in at least one vernacular newspaper having wide circulation in the State in which the registered office of the company is situated, or such newspapers as may be directed by the Tribunal and shall also be placed, not less than thirty days before the date fixed for the meeting, on the website of the company (if any) and in case of listed companies also on the website of the SEBI and the recognized stock exchange where the securities of the company are listed:

Provided that where separate meetings of classes of creditors or members are to be held, a joint advertisement for such meetings may be given.

8. Notice to statutory authorities.— (1) For the purposes of sub-section (5) of section 230 of the Act, the notice shall be in **Form No. CAA.3**, and shall be accompanied with a copy of the scheme of compromise or arrangement, the explanatory statement and the disclosures mentioned under rule 6, and shall be sent to-

- (i) the Central Government, the Registrar of Companies, the Income-tax authorities, in all cases;
- (ii) the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Competition Commission of India, and the stock exchanges, as may be applicable ;
- (iii) other sectoral regulators or authorities, as required by Tribunal.

(2) The notice to the authorities mentioned in sub-rule (1) shall be sent forthwith, after the notice is sent to the members or creditors of the company, by registered post or by speed post or by courier or by hand delivery at the office of the authority.

(3) If the authorities referred to under sub-rule (1) desire to make any representation under sub-section (5) of section 230, the same shall be sent to the Tribunal within a period of thirty days from the date of receipt of such notice and copy of such representation shall simultaneously be sent to the concerned companies and in case no representation is received within the stated period of thirty days by the Tribunal, it shall be presumed that the authorities have no representation to make on the proposed scheme of compromise or arrangement.

9. Voting.—The person who receives the notice may within one month from the date of receipt of the notice vote in the meeting either in person or through proxy or through postal ballot or through electronic means to the adoption of the scheme of compromise and arrangement.

Explanation. For the purposes of voting by persons who receive the notice as shareholder or creditor under this rule—

- (a) “shareholding” shall mean the shareholding of the members of the class who are entitled to vote on the proposal; and
- (b) “outstanding debt” shall mean all debt owed by the company to the respective class or classes of creditors that remains outstanding as per the latest audited financial statement, or if such statement is more than six months old, as per provisional financial statement not preceding the date of application by more than six months.

10. Proxies.— (1) Voting by proxy shall be permitted, provided a proxy in the prescribed form duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting is filed with the company at its registered office not later than 48 hours before the meeting.

(2) Where a body corporate which is a member or creditor (including holder of debentures) of a company authorises any person to act as its representative at the meeting, of the members or creditors of the company, or of any class of them, as the case may be, a copy of the resolution of the Board of Directors or other governing body of such body corporate authorising such person to act as its representative at the meeting, and certified to be a true copy by a director, the manager, the secretary, or other authorised officer of such body corporate shall be lodged with the company at its registered office not later than 48 hours before the meeting.

(3) No person shall be appointed as a proxy who is a minor.

(4) The proxy of a member or creditor blind or incapable of writing may be accepted if such member or creditor has attached his signature or mark thereto in the presence of a witness who shall add to his signature his description and address : provided that all insertions in the proxy are in the handwriting of the witness and such witness shall have certified at the foot of the proxy that all such insertions have been made by him at the request and in the presence of the member or creditor before he attached his signature or mark.

(5) The proxy of a member or creditor who does not know English may be accepted if it is executed in the manner prescribed in the preceding sub-rule and the witness certifies that it was explained to the member or creditor in the language known to him, and gives the member’s or creditor’s name in English below the signature.

11. Copy of compromise or arrangement to be furnished by the company.— Every creditor or member entitled to attend the meeting shall be furnished by the company, free of charge, within one day on a requisition being made for the same, with a copy of the scheme of the proposed compromise or arrangement together with a copy of the statement required to be furnished under section 230 of Act.

12. Affidavit of service.— (1) The Chairperson appointed for the meeting of the company or other person directed to issue the advertisement and the notices of the meeting shall file an affidavit before the Tribunal not less than seven days before the date fixed for the meeting or the date of the first of the meetings, as the case may be, stating that the directions regarding the issue of notices and the advertisement have been duly complied with.

(2) In case of default under sub-rule (1), the application along with copy of the last order issued shall be posted before the Tribunal for such orders as it may think fit to make.

13. Result of the meeting to be decided by voting.— (1) The voting at the meeting or meetings held in pursuance of the directions of the Tribunal under Rule 5 on all resolutions shall take place by poll or by voting through electronic means.

(2) The report of the result of the meeting under sub - rule (1) shall be in **Form No. CAA. 4** and shall state accurately the number of creditors or class of creditors or the number of members or class of members, as the case may be, who were present and who voted at the meeting either in person or by proxy, and where applicable, who voted through electronic means, their individual values and the way they voted.

14. Report of the result of the meeting by Chairperson.— The Chairperson of the meeting (or where there are separate meetings, the Chairperson of each meeting) shall, within the time fixed by the Tribunal, or where no time has been fixed, within three days after the conclusion of the meeting, submit a report to the Tribunal on the result of the meeting in **Form No. CAA.4**.

15. Petition for confirming compromise or arrangement.— (1) Where the proposed compromise or arrangement is agreed to by the members or creditors or both as the case may be, with or without modification, the company (or its liquidator), shall, within seven days of the filing of the report by the Chairperson, present a petition to the Tribunal in **Form No. CAA.5** for sanction of the scheme of compromise or arrangement.

(2) Where a compromise or arrangement is proposed for the purposes of or in connection with scheme for the reconstruction of any company or companies, or for the amalgamation of any two or more companies, the petition shall pray for appropriate orders and directions under section 230 read with section 232 of the Act.

(3) Where the company fails to present the petition for confirmation of the compromise or arrangement as aforesaid, it shall be open to any creditor or member as the case may be, with the leave of the Tribunal, to present the petition and the company shall be liable for the cost thereof.

16. Date and notice of hearing.— (1) The Tribunal shall fix a date for the hearing of the petition, and notice of the hearing shall be advertised in the same newspaper in which the notice of the meeting was advertised, or in such other newspaper as the Tribunal may direct, not less than ten days before the date fixed for the hearing.

(2) The notice of the hearing of the petition shall also be served by the Tribunal to the objectors or to their representatives under sub-section (4) of section 230 of the Act and to the Central Government and other authorities who have made representation under rule 8 and have desired to be heard in their representation.

17. Order on petition.— (1) Where the Tribunal sanctions the compromise or arrangement, the order shall include such directions in regard to any matter or such modifications in the compromise or arrangement as the Tribunal may think fit to make for the proper working of the compromise or arrangement.

(2) The order shall direct that a certified copy of the same shall be filed with the Registrar of Companies within thirty days from the date of the receipt of copy of the order, or such other time as may be fixed by the Tribunal.

(3) The order shall be in **Form No. CAA. 6**, with such variations as may be necessary.

18. Application for directions under section 232 of the Act.— (1) Where the compromise or arrangement has been proposed for the purposes of or in connection with a scheme for the reconstruction of any company or companies or the amalgamation of any two or more companies, and the matters involved cannot be dealt with or dealt with adequately on the petition for sanction of the compromise or arrangement, an application shall be made to the Tribunal under section 232 of the Act, by a notice of admission supported by an affidavit for directions of the Tribunal as to the proceedings to be taken.

(2) Notice of admission in such cases shall be given in such manner and to such persons as the Tribunal may direct.

19. Directions at hearing of application.— Upon the hearing of the notice of admission given under rule 18 or upon any adjourned hearing thereof, the Tribunal may make such order or give such directions as it may think fit, as to the proceedings to be taken for the purpose of reconstruction or amalgamation, as the case may be, including, where necessary, an inquiry as to the creditors of the transferor company and the securing of the debts and claims of any of the dissenting creditors in such manner as the Tribunal may think just and appropriate.

20. Order under section 232 of the Act.— An order made under section 232 read with section 230 of the Act shall be in **Form No. CAA.7** with such variation as the circumstances may require

21. Statement of compliance in mergers and amalgamations.— For the purpose of sub-section (7) of section 232 of the Act, every company in relation to which an order is made under sub-section (3) of section 232 of the Act shall until the scheme is fully implemented, file with the Registrar of Companies, the statement in **Form No. CAA.8** along with such fee as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 within two hundred and ten days from the end of each financial year.

22. Report on working of compromise or arrangement.— At any time after issuing an order sanctioning the compromise or arrangement, the Tribunal may, either on its own motion or on the application of any interested person, make an order directing the company or where the company is being wound-up, its liquidator, to submit to the Tribunal within such time as the Tribunal may fix, a report on the working of the said compromise or arrangement and on consideration of the report, the Tribunal may pass such orders or give such directions as it may think fit.

23. Liberty to apply.— (1) The company, or any creditor or member thereof, or in case of a company which is being wound-up, its liquidator, may, at any time after the passing of the order sanctioning the compromise or arrangement, apply to the Tribunal for the determination of any question relating to the working of the compromise or arrangement.

(2) The application shall in the first instance be posted before the Tribunal for directions as to the notices and the advertisement, if any, to be issued, as the Tribunal may direct.

(3) The Tribunal may, on such application, pass such orders and give such directions as it may think fit in regard to the matter, and may make such modifications in the compromise or arrangement as it may consider necessary for the proper working thereof, or pass such orders as it may think fit in the circumstances of the case.

24. Liberty of the Tribunal.— (1) At any time during the proceedings, if the Tribunal hearing a petition or application under these Rules is of the opinion that the petition or application or evidence or information or statement is required to be filed in the form of affidavit, the same may be ordered by the Tribunal in the manner as the Tribunal may think fit.

(2) The Tribunal may pass any direction(s) or order or dispense with any procedure prescribed by these rules in pursuance of the object of the provisions for implementation of the scheme of arrangement or compromise or restructuring or otherwise practicable except on those matters specifically provided in the Act.

25. Merger or Amalgamation of certain companies.— (1) The notice of the proposed scheme, under clause (a) of sub-section (1) of section 233 of the Act, to invite objections or suggestions from the Registrar and Official Liquidator or persons affected by the scheme shall be in **Form No. CAA.9**.

(2) For the purposes of clause (c) of sub-section (1) of section 233 of the Act the declaration of solvency shall be filed by each of the companies involved in the scheme of merger or amalgamation in **Form No. CAA.10** along with the fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, before convening the meeting of members and creditors for approval of the scheme.

(3) For the purposes of clause (b) and (d) of sub-section (1) of section 233 of the Act, the notice of the meeting to the members and creditors shall be accompanied by -

(a) a statement, as far as applicable, referred to in sub-section (3) of section 230 of the Act read with sub-rule (3) of rule 6 hereof;

(b) the declaration of solvency made in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 233 of the Act in **Form No. CAA.10**;

(c) a copy of the scheme.

(4)(a) For the purposes of sub-section (2) of section 233 of the Act, the transferee company shall, within seven days after the conclusion of the meeting of members or class of members or creditors or class of creditors, file a copy of the scheme as agreed to by the members and creditors, along with a report of the result of each of the meetings in **Form No. CAA.11** with the Central Government, along with the fees as provided under the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

(b) Copy of the scheme shall also be filed, along with **Form No. CAA. 11** with -

(i) the Registrar of Companies in **Form No. GNL-1** along with fees provided under the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014; and

(ii) the Official Liquidator through hand delivery or by registered post or speed post.

(5) Where no objection or suggestion is received to the scheme from the Registrar of Companies and Official Liquidator or where the objection or suggestion of Registrar and Official Liquidator is deemed to be not sustainable and the Central Government is of the opinion that the scheme is in the public interest or in the interest of creditors, the Central Government shall issue a confirmation order of such scheme of merger or amalgamation in **Form No. CAA.12**.

(6) Where objections or suggestions are received from the Registrar of Companies or Official Liquidator and the Central Government is of the opinion, whether on the basis of such objections or otherwise, that the scheme is not in the public interest or in the interest of creditors, it may file an application before the Tribunal in **Form No. CAA.13** within sixty days of the receipt of the scheme stating its objections or opinion and requesting that Tribunal may consider the scheme under section 232 of the Act.

(7) The confirmation order of the scheme issued by the Central Government or Tribunal under sub-section (7) of section 233 of the Act, shall be filed, within thirty days of the receipt of the order of confirmation, in **Form INC-28** along with the fees as provided under Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 with the Registrar of Companies having jurisdiction over the transferee and transferor companies respectively.

(8) For the purpose of this rule, it is clarified that with respect to schemes of arrangement or compromise falling within the purview of section 233 of the Act, the concerned companies may, at their discretion, opt to undertake such schemes under sections 230 to 232 of the Act, including where the condition prescribed in clause (d) of sub-section (1) of section 233 of the Act has not been met.

26. Notice to dissenting shareholders for acquiring the shares.— For the purposes of sub-section (1) of section 235 of the Act, the transferee company shall send a notice to the dissenting shareholder(s) of the transferor company, in **Form No. CAA.14** at the last intimated address of such shareholder, for acquiring the shares of such dissenting shareholders.

27. Determination of price for purchase of minority shareholding.— For the purposes of sub-section (2) of section 236 of the Act, the registered valuer shall determine the price (hereinafter called as offer price) to be paid by the acquirer, person or group of persons referred to in sub-section (1) of section 236 of the Act for purchase of equity shares of the minority shareholders of the company, in accordance with the following rules:-

(1) In the case of a listed company,-

- (i) the offer price shall be determined in the manner as may be specified by the Securities and Exchange Board of India under the relevant regulations framed by it, as may be applicable; and
- (ii) the registered valuer shall also provide a valuation report on the basis of valuation addressed to the Board of directors of the company giving justification for such valuation.

(2) In the case of an unlisted company and a private company,

- (i) the offer price shall be determined after taking into account the following factors:-
 - (a) the highest price paid by the acquirer, person or group of persons for acquisition during last twelve months;
 - (b) the fair price of shares of the company to be determined by the registered valuer after taking into account valuation parameters including return on net worth, book value of shares, earning per share, price earning multiple vis-à-vis the industry average, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies; and
- (ii) the registered valuer shall also provide a valuation report on the basis of valuation addressed to the board of directors of the company giving justification for such valuation.

28. Circular containing scheme of amalgamation or merger.— (1) For the purposes of clause (a) of sub-section (1) of section 238 of the Act, every circular containing the offer of scheme or contract involving transfer of shares or any class of shares and recommendation to the members of the transferor company by its directors to accept such offer, shall be accompanied by such information as set out in **Form No. CAA.15**.

(2) The circular shall be presented to the Registrar for registration.

29. Appeal under sub-section (2) of section 238 of the Act.— Any aggrieved party may file an appeal against the order of the Registrar of Companies refusing to register any circular under sub-section (2) of section 238 of the Act and the said appeal shall be in the **Form No. NCLT.9** (appended in the National Company Law Tribunal Rules, 2016) supported with an affidavit in the **Form No. NCLT.6** (appended in the National Company Law Tribunal Rules, 2016).

SCHEDULE OF FEES

S. No.	Sections of the Companies Act, 2013	Rule Number	Nature of application or petition	Fees
1.	Sub-section (1) of section 230	3 (1)	Application for compromise arrangement and amalgamation.	Rs. 5,000/-
2.	Sub-section (2) of section 235		Application by dissenting shareholders.	Rs. 1,000/-
3.	Sub-section (2) of section 238	29	Appeal against order of Registrar refusing to register any circular.	Rs. 2,000/-

Annexure A**[See Rule 2(1)(c)]****FORM NO. CAA.1**

[Pursuant to section 230(2)(c)(i) and rule 4]

Creditor's Responsibility Statement

I/ We,, the creditors of M/s..... for an amount of Rs. as on do hereby declare that I / we have read and understood the proposed corporate debt restructuring scheme and am / are of the view that it is in my/our best interest to concur with the scheme.

I/ We further declare that the debt is owed to me / us by the company or the liability was created by the company in my/ our favor in good faith and in the ordinary course of business of the company;

I/We believe that the scheme does not give me/us any fraudulent preference at the cost of any secured/unsecured Creditors.

Signature of creditor/s

Date:

Place:

FORM NO. CAA. 2

[Pursuant to Section 230 (3) and rule 6 and 7]

Company Petition No of 20.....**.....Applicant(s)****Notice and Advertisement of notice of the meeting of creditors or members**

Notice is hereby given that by an order dated the 20 ... the ____ Bench of the National Company Law Tribunal has directed a meeting (or separate meetings) to be held of [here mention 'debenture holders' or 'first debenture holders' or 'second debenture holders' or 'unsecured creditors' or 'secured creditors' or 'preference shareholders' or 'equity shareholders' as the case may be whose meeting or meetings have to be held] of the said company for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification, the compromise or arrangement proposed to be made between the said company and [here mention the class of creditors or members with whom the compromise or arrangement or amalgamation is to be made] of the company aforesaid.

In pursuance of the said order and as directed therein further notice is hereby given that a meeting of [here set out the class of creditors or members whose meeting has to be held] of the said company will be held at....on....day...the...day of..... 20...at..... o'clock in the noon at which time and place the said [here mention the class of creditors or members] are requested to attend [Where separate meetings of classes of creditors or members are to be held, set them out separately with the place, date and time of the meeting in each case.]

Copies of the said compromise or arrangement or amalgamation, and of the statement under section 230 can be obtained free of charge at the registered office of the company or at the office of its authorized representative Shri.... at.....Persons entitled to attend and vote at the meeting (or respective meetings), may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the company at... .. not later than 48 hours before the meeting.

Forms of proxy can be had at the registered office of the Company.

The Tribunal has appointed Shri..... and failing him, Shri....as chairperson of the said meeting (or several meetings). The above mentioned compromise or arrangement or amalgamation, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the tribunal.

Dated thisday of..... .20.....

Chairperson appointed for the meeting

(or as the case may be)

FORM NO. CAA.3

[Pursuant to section 230(5) and rule 8]

In the Matter of compromise and / or arrangement of**NOTICE TO CENTRAL GOVERNMENT, REGULATORY AUTHORITIES**

To,

The Central Government/

The Registrar of Companies/

The Income-Tax Authorities/

[in all cases]

The Reserve Bank of India/

The Securities and Exchange Board of India/

The Stock Exchanges of/

The Competition Commission of India/

[as may be applicable]

Other sectoral regulator or authorities

[As required by Tribunal]

Notice is hereby given in pursuance of sub-section (5) of section 230 of the Companies Act, 2013, that as directed by the _____ Bench of the National Company Law Tribunal at by an order dated under sub-section (1) of section 230 of the Act, a meeting of the members and / or creditors of (Company's name)..... shall be held on to consider the scheme of compromise and / or arrangement ofwith at

A copy of the notice and scheme of the compromise or arrangement are enclosed.

You are hereby informed that representations, if any, in connection with the proposed compromise and / or arrangement may be made to the Tribunal within thirty days from the date of receipt of this notice. Copy of the representation may simultaneously be sent to the concerned company(ies).

In case no representation is received within the stated period of thirty days, it shall be presumed that you have no representation to make on the proposed scheme of compromise or arrangement.

Authorized Signatory

Dated this day of20...

Place

Enclosures : i) Copy of notice with statement as required under section 230(3);

ii) Copy of scheme of compromise or arrangement

FORM No. CAA. 4

[Pursuant to rule 13(2) and rule 14]

Company Petition No of..... of 20.....**.....Applicant(s)****Report of result of meeting by Chairperson:**

I, _____ the person appointed by this Hon'ble Tribunal to act as chairperson of the meeting of (the debenture holders or first debenture holders or second debenture holders or unsecured creditors or secured creditors or preference shareholders or equity shareholders) of the above named company, summoned by notice served individually upon them and by advertisement dated the day of.. 20....., and held on the day of.. 20... at... , do hereby report to this Hon'ble Tribunal as follows:

1. The said meeting was attended either personally or by proxy by [here state the number of creditors or the class of creditors or the number of members or the class of members as the case may be, who attended the meeting] of the said company entitled together to [here mention the total value to the debts, or debentures, where the meeting was of creditors, and the total number and value of the shares, where the meeting was of members, of those who attended the

meeting], representing [..... percentage] of the total value of debts or debentures or shares of the company.

2. The scheme of compromise or arrangement was read out and explained by me to the meeting, and the question submitted to the said meeting was whether the (here state the class of creditors or members as the case may be) of the said company agreed to the compromise or arrangement submitted to the meeting and agreed thereto.

3. The majority of persons representing three-fourths in value of the creditors, or class of creditors or members or class of members, as the case may be, (or such persons unanimously) are of the opinion that the compromise or arrangement should be approved and agreed to. The result of the voting upon the said question was as follows:

The under-mentioned [here mention the class of creditors or members who attended the meeting] voted in favour of the proposed compromise or arrangement being adopted and carried into effect:

Name of creditor or member	Address	Value of debt (or No. of preference or equity shares held)	Number of votes

The under-mentioned [here mention the class of creditors or members who attended the meeting] voted against the proposed compromise or arrangement being adopted and carried into effect:

Name of creditor or member	Address	Value of debt (or No. of preference or equity shares held)	Number of votes

Dated this..... day of20.....

Sd/-

Chairperson

**If the compromise or arrangement was approved with modifications, it should be so stated and the modifications made should be set out, and also the particulars of the voting on the modifications.

FORM NO. CAA.5

[Pursuant to section 230 and rule 15(1)]

[HEADING AS IN FORM NCLT. 4]**Petition to sanction compromise or arrangement****The petition of _____ Ltd, (*in liquidation by its liquidator) the petitioner above named is as follows:-**

1. The object of this petition is to obtain sanction of Tribunal to a compromise or arrangement whereby (here set out the nature of the compromise or arrangement).
2. The company was incorporated under the [...] Act..... with a nominal capital of Rs [...]divided into shares of Rs[...] each of which [...] shares were issued and Rs[...] was paid up on each share issued.
3. The objects for which the company was formed are as set forth in the company's Memorandum of Association. They are: (Set out the principal objects).
4. [Here set out the nature of the business carried on by the company, its financial position and the circumstances that necessitated the compromise or arrangement and the benefits sought to be achieved by the compromise or arrangement and its effect].
5. The compromise or arrangement was in the following terms:-[Here set out the terms of the compromise or arrangement].
6. By an order made in the above matter on [...]the petitioner was directed to convene a meeting of [here set out the class of creditors or members of whom the meeting was to be held] of the company for the purpose of considering and, if thought fit approving with or without modifications. The said compromise or arrangement and the said order directed that [...] or failing him [...] should act as chairperson of the said meeting and should report the result thereof to this Tribunal.
7. Notice of the meeting was sent individually to the [here mention the class of creditors or members to whom the notice was sent] as required by the order together with a copy of the compromise or arrangement and of the statement required by section 231, 232 read with section 230 of the Act and a form of proxy. The notice of the meeting was also advertised as directed by the said order in (here set out the newspapers).
8. On the [...], a meeting of (here mention the class of creditors or members whose meeting was convened) of the company duly convened in accordance with the said order, was held at [...]and the said [...], acted as the chairperson of the meeting.
9. The said [...], has reported the result of the meeting to this Hon'ble Tribunal.
10. The said meeting was attended by (here set out the number of the class of creditors or members, as the case may be, who attended the meeting either in person or by proxy), and the total value of their [here mention debts, debentures or shares, as the case may be] is Rs[...] [in the case of shares, the total number and value of the shares should be mentioned] representing [..... percentage] of the total value of debts or debentures or shares of the company. The said compromise or arrangement was read and explained by the said [...], to the meeting and it was resolved unanimously [or by a majority of [...] votes against [...] votes] as follows:-[Here set out the resolution as passed].
11. The sanctioning of the compromise or arrangement will be for the benefit of the company.
12. Notice of this petition need not be served on any person. The petitioner therefore prays:
 - (1) That the said compromise or arrangement may be sanctioned by the Tribunal as to be binding on all the [here set out the class of creditors or members of the company on whom the compromise or arrangement is to be binding] of the said company and on the said company.
 - (2) Or such other order may be made in the premises as to the Tribunal shall deem fit.

Verification etc.

Petitioner

[Note: (1) The affidavit in support should verify the petition and prove any matters not proved in any prior affidavit, such as advertisement, holding of meetings, posting of notices, copies of compromise or arrangement and proxies etc., and should exhibit the report of the chairperson and verify the same.]

Note: (2) If the company is being wound-up, say so.

Note: (3) If any modifications were made in the compromise or arrangement, at the meeting, they should be set out in separate paragraph.

* To be inserted where the company is being wound-up.

FORM NO. CAA.6

[Pursuant to section 230(7) and sub-rule (3) of rule 17]

[HEADING AS IN FORM NCLT. 4]**Order on petition**

The above petition coming on for hearing on upon reading the said petition, the order dated.... whereby the 'said company (or, liquidator of the said company), was ordered to convene a meeting (or separate meeting) of the creditors/debenture holders/preference shareholders/equity shareholders/ of the above company for the purpose of considering, and if thought fit, approving, with or without modification, the compromise or arrangement proposed to be made between the said company and.....and annexed to the affidavit of.....filed the day of.....20the and the (here mention the newspaper) dated.....each containing the advertisement of the said notice convening the said meeting(s) directed to be held by the said order dated...20.....the affidavit of.....filed the day of... 20....., showing the publication and despatch of the notices convening the said meeting(s). the report(s) of the chairperson/ chairpersons of the said meeting(s) (respectively) dated as to the result of the said meeting(s), (and upon hearing Shri.....advocate for etc.) and it appearing from the report(s) that the proposed compromise or arrangement has been approved (here state whether unanimously or by a majority of not less than three-fourths in value of the creditors or class of creditors or members or class of members as the case may be present and voting in person or by proxy or through postal ballot or through electronic means).

This Tribunal do hereby sanction the compromise or arrangement set forth in paraof the petition herein and in the schedule hereto. and doth hereby declare the same to be binding on...(here enter the class of creditors or members on whom it is to be binding) of the above named company and also on the said company (and its liquidator').

And this Tribunal do further order:-

[Here enter any directions given or modifications made by the Tribunal regarding the carrying out of the compromise or arrangement.]

That the parties to the compromise or arrangement or other persons interested shall be at liberty to apply to this Tribunal for any directions that may be necessary in regard to the working of the compromise or arrangement, and

That the said company [or the liquidator of the said company] do file with the Registrar of Companies a certified copy of this order within thirty days of the receipt of the order.

SCHEDULE

Scheme of compromise or arrangement as sanctioned by the Tribunal

Dated this day of.. 20... .

(By the Tribunal)

Registrar'

To be inserted where the company is being wound-up. Where the compromise or arrangement has been approved with the modifications, it should be so stated

FORM NO. CAA.7

[Pursuant to section 232 and rule 20]

[HEADING AS IN FORM NCLT. 4]**Order under section 232**

Upon the above petition [and application] coming on for further hearing onupon reading etc., and upon hearing etc.

THIS TRIBUNAL DO ORDER

- (1) That all the property, rights and powers of the transferor company specified in the first, second and third parts of the Schedule hereto and all other property, rights and powers of the transferor company be transferred without further act or deed to the transferee company and accordingly the same shall pursuant to section 232 of the Act, be transferred to and vested in the transferee company for all the estate and interest of the transferor company therein but subject nevertheless to all charges now affecting the same [other than(here set out any charges which by virtue of the compromise or arrangement are to cease to have effect)]; and
- (2) That all the liabilities and duties of the transferor company be transferred without further act or deed to the transferee company and accordingly the same shall pursuant to section 232 of the Act, be transferred to and become the liabilities and duties of the transferee company; and
- (3) That all proceedings now pending by or against the transferor company be continued by or against the transferee company; and
- (4) That the transferee company do without further application allot to such members of the transferor company as have not given such notice of dissent as is required by clause ____ of the compromise or arrangement herein the shares in the transferee company to which they are entitled under the said compromise or arrangement; and
- (5) That the transferor company shall within thirty days of the date of the receipt of this order cause a certified copy of this order to be delivered to the Registrar of Companies for registration and on such certified copy being so delivered the transferor company shall be dissolved* and the Registrar of Companies shall place all documents relating to the transferor company and registered with him on the file kept by him in relation to the transferee company and the files relating to the said two companies shall be consolidated accordingly; and
- (6) That any person interested shall be at liberty to apply to the Tribunal in the above matter for any directions that may be necessary.

Schedule

First Part

(Insert a short description of the freehold property of the transferor company)

Second Part

(Insert a short description of the leasehold property of the transferor company)

Third Part

(Insert a short description of all stocks, shares, debentures and other charges in action of the transferor company)

Dated

(By the Tribunal)

Registrar

* Where the Tribunal directs that the transferor company should be dissolved from any other date, the clause should be altered accordingly.

FORM NO. CAA.8

[Pursuant to section 232(7) and rule 21]

In the Matter of compromise and / or arrangement of**Statement to be filed with Registrar of Companies**

1. (a) Corporate identity number (CIN) of company:
(b) Global location number (GLN) of company:
2. (a) Name of the company:
(b) Address of the registered office of the company:
(c) E-mail ID of the company:
3. Date of Board of Directors' resolution approving the scheme
4. Date of Order of Tribunal approving the Scheme under Section 232(3)
5. Details regarding:-
 - (a) Completed actions under the Order
 - (b) Pending actions under the Order with status

Declaration of compliance of scheme as per the Order of the Tribunal

I, the Director / Company Secretary of do solemnly affirm and declare that we are in compliance with the Order of the Tribunal dated _____.

A copy of the scheme of the compromise or arrangement is enclosed.

Director / Company Secretary

Chartered Accountant in practice / Cost Accountant in practice / Company Secretary in practice

Date:

Place:

Attachments:-

- 1) Scheme of Compromise or Arrangement
- 2) Details of Compliance of the Scheme
- 3) Other Attachments, if any

FORM NO. CAA.9

[Pursuant to section 233(1)(a) and rule 25(1)]

Notice of the scheme inviting objections or suggestions

Notice is hereby given by M/s [...] (transferor / transferee company) that a scheme of merger or amalgamation is proposed to be entered with M/s [...] (transferor / transferee company) and in pursuance of sub-section (1)(a) of Section 233 of the Companies Act, 2013, objections or suggestions are invited in respect of the scheme.

A copy of the scheme of merger or amalgamation is enclosed.

Objections or suggestions are invited from –

- (i) the Registrar (mention the details of the Registrar of the area where the registered office of the transferor / transferee company is situated);
- (ii) Official Liquidator (mention the details of the Official Liquidator of the area where the registered office of the transferor company is situated); and
- (iii) [Any person whose interest is likely to be affected by the proposed scheme].

Any person mentioned in (i) , (ii) or (iii) above, desirous of providing objections or suggestions in respect of the scheme should send their objections or suggestions within thirty days from the date of this notice to [...](the Central Government at (address) and to Shri _____ (address) being authorised representative of the transferor company).

Date :

Place :

Sd/- (mention the details of the authorised representative of the transferor company).

Enclosure: A copy of the scheme of merger or amalgamation

FORM NO. CAA.10

[Pursuant to section 233(1)(c) and rule 25(2)]

Declaration of solvency

1. (a) Corporate identity number (CIN) of company :

(b) Global location number (GLN) of company:

2. (a) Name of the company:

(b) Address of the registered office of the company:

(c) E-mail ID of the company:

3.(a) Whether the company is listed:

 Yes No

(b) If listed, please specify the name(s) of the stock exchange(s) where listed:

4. Date of Board of Directors' resolution approving the scheme

Declaration of solvency

We, the directors of M/s do solemnly affirm and declare that we have made a full enquiry into the affairs of the company and have formed the opinion that the company is capable of meeting its liabilities as and when they fall due and that the company will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of making this declaration.

We append an audited statement of company's assets and liabilities as at being the latest date of making this declaration.

We further declare that the company's audited annual accounts including the Balance Sheet have been filed upto date with the Registrar of Companies

Signed for and behalf of the board of directors

(1) Signature :.....

Date Name :.....

Place Managing Director, if any

(2) Signature :.....

Name :.....

Director

(3) Signature :.....

Name :.....

Director

Verification

We solemnly declare that we have made a full enquiry into the affairs of the company including the assets and liabilities of this company and that having done so and having noted that the scheme of merger or amalgamation between and is proposed to be placed before the shareholders and creditors of the company for approval as per the provisions of sub-section of (1) of section 233 of the Companies Act, 2013, we make this solemn declaration believing the same to be true.

Verified this day the day of, 20.....

(1) Signature :.....

Name :.....

Managing Director

(2) Signature :.....

Name :.....

Director

(3) Signature :.....

Name :.....

Director

Solemnly affirmed and declared at the day of, 20... before me.

Commissioner of Oaths and

Notary Public

Attachments:

- a) Copy of board resolution
- b) Statement of assets and liabilities
- c) Auditor's report on the statement of assets and liabilities

ANNEXURE**Statement of assets and liabilities as at**

Name of the company

Assets

	Book Value	Estimated Realisable value
1. Balance at Bank		
2. Cash in hand		
3. Marketable securities		
4. Bills receivables		
5. Trade debtors		
6. Loans & advances		
7. Unpaid calls		
8. Stock-in-trade		
9. Work in progress		
10. Freehold property		
11. Leasehold property		
12. Plant and machinery		
13. Furniture, fittings, utensils, etc.		

- 14. Patents, trademarks, etc.
- 15. Investments other than marketable securities
- 16. Other property

Total:

Liabilities

Estimated to rank for payment
(to the nearest rupee)

- 1. Secured on specific assets
- 2. Secured by floating charge(s)
- 3. Estimated cost of liquidation and other expense including interest accruing until payment of debts in full.
- 4. Unsecured creditors (amounts estimated to rank for payment)
 - (a) Trade accounts
 - (b) Bills payable
 - (c) Accrued expense
 - (d) Other liabilities
 - (e) Contingent liabilities

	
Total:	

Total estimated value of assets	Rs.
Total liabilities	Rs.
Estimated surplus after paying debts in full	Rs.

Remarks

(1) Signature :.....
 Name :.....
 Managing Director

(2) Signature :.....
 Name :.....
 Director

(3) Signature :.....
 Name :.....
 Director

Place :

Date:

FORM NO.CAA.11

[Pursuant to section 233(2) and rule 25(4)]

Notice of approval of the scheme of merger**(To be filed by the transferee company to the Central Government, Registrar and the Official Liquidator)**

1. (a) Corporate Identity Number (CIN) :
(b) Global Location Number GLN) :
2. (a) Name of the transferee company:
(b) Registered office address:
(c) E-mail id:
3. Whether the transferor and transferee are:
 Small companies
 Holding and wholly owned subsidiaries
4. Details of transferor
(a) Corporate Identity Number (CIN) :
(b) Global Location Number GLN) :
Name of the company:
Registered office address:
E-mail id:
5. Brief particulars of compromise or arrangement involving merger:
6. Details of approval of the scheme of merger by the transferee company:
 - (a) Approval by members
 - (i) Date of dispatch of notice to members:
 - (ii) Date of the General meeting:
 - (iii) Date of approval of scheme in the General meeting:
 - (iv) Approved by majority of: (members or class of members holding atleast ninety percent of the total number of shares)
 - (b) Approval by creditors
 - (i) Date of dispatch of notice to creditors:
 - (ii) Date of the meeting of creditors:
 - (iii) Date of approval of scheme in creditors meeting:
 - (iv) Approved by majority of: (at least nine tenth in value of creditors)
7. Details of approval of the scheme of merger by the transferor company:
 - (a) Approval by members
 - (i) Date of dispatch of notice to members:
 - (ii) Date of the General meeting:
 - (iii) Date of approval of scheme in the General meeting:
 - (iv) Approved by majority of: (members or class of members holding atleast ninety percent of the total number of shares)
 - (b) Approval by creditors
 - (i) Date of dispatch of notice to creditors:
 - (ii) Date of the meeting of creditors:
 - (iii) Date of approval of scheme in such meeting:
 - (iv) Approved by majority of: (at least nine tenths in value of creditor)

Declaration

Ithe director of the transferee company hereby declares that-

- (i) Notice of the scheme as required under section 233(1)(a) was duly sent to the Registrars and Official Liquidators of the place where the registered office of the transferor and transferee companies are situated and to all other persons who are likely to be affected by the scheme and a copy of the same has been attached herewith;
- (ii) the objections to the scheme have been duly taken care of to the satisfaction of the respective persons;
- (iii) the scheme has been approved by the members and creditors of the transferee and transferor company by the requisite majority in accordance with section 233(1)(b) and (d) respectively;
- (iv) all the requirements under section 233 of the Act and the rules made there have been complied with; and
- (v) to the best of my knowledge and belief the information given in this application and its attachments is correct and complete;

Date:

Place:

Signature

Attachments:

- 1. Copy of the scheme approved by both creditors and members;
- 2. Notice sent in accordance with section 233(1)(a);
- 3. Optional attachments, if any.

FORM NO. CAA.12

[Pursuant to section 233 and rule 25(5)]

Confirmation order of scheme of merger or amalgamation between

Ms.....and Ms.....

Pursuant to the provisions of section 233, the scheme of compromise, arrangement or merger of M/s(transferor company) with M/s.....(transferee company) approved by their respective members and creditors as required under section 233(1)(b) and (d), is hereby confirmed and the scheme shall be effective from theday of20...

A copy of the approved scheme is attached to this order.

Signature with seal

Date

Place

FORM NO.CAA.13

[Pursuant to section 233(5) and rule 25(6)]

Application by the Central Government to the Tribunal**[HEADING AS IN FORM NCLT. 4]****(Name and address of the applicant)**

State the name and address of the persons who should be given opportunity of being heard in disposing of this reference.

(Note: Please enclose as many additional copies of the reference application as there are persons as above named.)

On the basis of the information available from the documents annexed hereto-

1. The applicant hereby makes reference to the National Company Law Tribunal, ----, Bench, under section of the Companies Act, 2013

2. The applicant states as follow :

(Here set out the brief facts of the case)

3. The submission of the applicant is as follows :

(Submission)

4. The applicant has annexed hereto the documents or copies thereof as specified below:

Place:

Date:

Signature of the applicant

List of Document

1.

2.

3.

FORM NO. CAA.14

[Pursuant to section 235(1) and rule 26]

Notice to dissenting shareholders

To

.....

.....

Notice for acquiringshares held by you in M/s.....(hereinafter called 'the transferor company')

Notice is hereby given by M/s..... (hereinafter called 'the transferee company') that an offer made by the transferee company on to all the shareholders of the transferor company for acquisition of the shares or class of shares at the price of has been approved by the holders of in value of the shares, being not less than nine-tenth in value of the said shares (other than shares already held at the date of the offer by the transferee company either by itself or by its nominees or subsidiaries).

In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 235 of the Companies Act 2013, notice is further given that the transferee company is desirous of acquiringshares held by you in the transferor company at a price of Rs....., being the price paid to the approving shareholders.

Take further note that if you are not in favour of such acquisition of your shares by the transferee company, then you may apply to the Tribunal within one month hereof. Unless an application is made by you as aforesaid or unless on such application the Tribunal orders otherwise, the transferee company will be entitled and bound to acquire the aforesaid shares held by you in the transferor company on the terms of the above mentioned offer.

Date:

Place:

Signature

(On behalf of transferee company)

FORM NO.CAA.15

[Pursuant to section 238(1)(a) and rule 28]

Information to be furnished along with circular in relation to any scheme or contract involving the transfer of shares or any class of shares in the transferor company to the transferee company**Details of the transferee company**

1.(a) Corporate Identity Number :

(b) Global Location Number :

2. (a) Name of the company:

(b) Registered office address:

(c) E-mail id:

3. Whether the company is

 Public company Private company OPC

4. (a) Whether the shares of the company are listed on a recognized stock exchange:

 Yes No

(b) If yes, name of the stock exchanges where shares are listed:

5.Main objects/ principal business of the company:

6.Capital structure of the company:

Authorized share capital:

Issued share capital:

Subscribed share capital:

Paid up share capital:

7.Debt structure of the company:

8.Details of the promoters, key managerial personnel, directors of the company:

9.Material interest and effect of the scheme on such interest of:

(i) Key Managerial Personnel

(ii) Promoters

(iii) Directors

(iv) Debenture trustees

(v) Deposit trustees

(vi) Auditors

10.(a) Extent of shareholding of directors, Key Managerial Personnel, promoters, managers, managing directors of the transferee company

Shareholder's name -

Status (whether a director, Key Managerial Personnel, etc.) -

Share type-

Number of shares-

Value per share (Rs.)-

(b) Extent of shareholding of directors, Key Managerial Personnel, promoters, managers, managing director in the transferor company

Shareholder's name-

Status (whether a director, Key Managerial Personnel, etc.)-

Share type -

Number of shares-

Value per share (Rs.)-

11. (a) Offer made by any other person on behalf of the company:

Yes

No

(b) State the interest of the other person in the company:

Details of the transferor company

12. (a) Corporate Identity Number :

(b) Global Location Number :

13. (a) Name of the company:

(b) Registered office address:

(c) E-mail id:

14. Whether the company is

Public company

Private company

One Person Company

15. (a) Whether the shares of the company is listed on a recognized stock exchange:

Yes

No

(b) If yes, name of the stock exchanges where shares are listed:

16. Main objects/ principal business of the company:

17. Capital structure of the company:

Authorized share capital:

Issued share capital:

Subscribed share capital:

Paid up share capital:

18. Debt structure of the company:

19. Details of the promoters, key managerial personnel, directors of the company:

20. Material interest and effect of the scheme on such interest of:

(i) Key Managerial Personnel

(ii) Promoters

(iii) Directors

(iv) Debenture trustees

(v) Deposit trustees

(vi) Auditors

21. (a) Extent of shareholding of directors, Key Managerial Personnel, promoters, managers, managing directors of the transferee company

Shareholder's name-

Status (whether a director, Key Managerial Personnel, etc.)-

Share type -

Number of shares-

Value per share (Rs.)-

(b) Extent of shareholding of directors, Key Managerial Personnel, promoters, managers, managing director in the transferor company

Shareholder's name-

Status (whether a director, Key Managerial Personnel, etc.)-

Share type-

Number of shares-

Value per share (Rs.)-

22. Any relation that subsists between transferor and transferee company:

Details of the scheme

23. Reasons for which the offer has been recommended by director of the transferor company:

24. Form of consideration

Total consideration

Cash

Other than cash

25. if consideration is other than cash, particulars thereof:

26. if consideration involves the allotment of shares in the transferee company,

(a) Share exchange ratio:

(b) basis of valuation of shares of transferee company:

(c) Full particulars of the shares and the rights attached thereto:

27. Sources from which the transferee company proposes to pay for the acquisition of the said shares, if the consideration is cash:

Declaration

I/We,, directors of the transferor company do solemnly declare that the information given in this statement and enclosures is correct and complete to the best of my/our knowledge.

Date:

Place:

Signature

Enclosures:

1. Details of transfer of shares in the transferor company by its directors, Key Managerial Personnel, promoters, manager, managing director in the two years preceding the offer;
2. Statement of valuation of shares by a registered valuer;
3. Auditor's certificate regarding the offer;
4. Offer document shall contain a statement by or on behalf of transferee company disclosing the steps it has taken to ensure that necessary cash will be available;
5. Details of change of name, registered office and objects of the transferee company;
6. Details of change of name, registered office and objects of the transferor company.

[F. No. 2/31/CAA/2013/-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Nishok
Kumar Paria

Digitally signed by
Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.15
23:26:10 +05'30'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052022-236112
CG-DL-E-30052022-236112

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]
No. 380]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2022/ज्येष्ठ 9, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2022/JYAISHTHA 9, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

सा.का.नि. 401(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 से धारा 240 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (समझौता, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 25क में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, किसी भारतीय कंपनी और किसी कंपनी या निगमित निकाय जो किसी ऐसे देश में निगमित हुआ है, जो भारत के साथ भू-सीमा साझा करता हो, के मध्य समझौता या ठहराव या विलयन या निर्विलयन के मामले में, अधिनियम की धारा 230 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करते समय प्ररूप संख्या सीएए-16 में घोषणा करना अपेक्षित होगा।”।

3. उक्त नियमों में, उपाबंध 'क' में, प्ररूप संख्या सीएए-15 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्ररूप संख्या सीएए.16

[धारा 230 और नियम 25क के अनुसरण में]

कंपनी याचिका सं.

नियम 25क के निबंधनों के अनुसार घोषणा

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष धारा 230 के अधीन निम्न के बीच विलयन और समामेलन का आवेदन प्रस्तुत किया गया है:

1. मैसर्स (अंतरिती कंपनी / निगमित निकाय के ब्यौरे)
2. मैसर्स (अंतरणकर्ता कंपनी / निगमित निकाय के ब्यौरे)
3.

और नियम 25क के अनुपालन में,

मैं, (कंपनी/ निगमित निकाय के ब्यौरे) का सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि –

कंपनी/निगमित निकाय को विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं है या

कंपनी/निगमित निकाय को विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करना अपेक्षित है और उसे अभिप्राप्त कर लिया गया है और इसके साथ संलग्न है।

(जो भी लागू हो उसपर निशान लगाएं)

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर

संलग्नक:

विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के अधीन अनुमोदन।”।

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013-सीएल-V]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में, सा.का.नि. संख्या 1134(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2017, सा.का.नि. 79(अ), तारीख 03 फरवरी, 2020, सा.का.नि. 773(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2020 और सा.का.नि. 93(अ), तारीख 01 फरवरी, 2021 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th May, 2022

G.S.R. 401(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with sections 230 to 240 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 (hereafter in these rules referred to as the said rules), in rule 25A, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted namely:

“(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), in case of a compromise or an arrangement or merger or demerger between an Indian company and a company or body corporate which has been incorporated in a country which shares land border with India, a declaration in Form No. CAA-16 shall be required at the stage of submission of application under section 230 of the Act.”.

3. In the said rules, in Annexure A, after Form No. CAA-15, the following Form shall be inserted namely:

<p>“FORM NO. CAA.16</p> <p>[Pursuant to section 230 and rule 25A]</p> <p>In Company Petition No.</p> <p>Declaration in terms of Rule 25A</p> <p>An application under section 230 is being made before the National Company Law Tribunal for merger and amalgamation between:</p> <p>1. M/s. _____(details of transferee company/body corporate)</p> <p>2. M/s. _____(details of transferor company/body corporate)</p> <p>3.</p> <p>And in compliance with Rule 25A,</p> <p>I _____duly authorised representative of _____(details of company/body corporate) do hereby solemnly declare that –</p> <p><input type="checkbox"/> the company/body corporate is not required to obtain prior approval under the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019; or</p> <p><input type="checkbox"/> the company/body corporate is required to obtain prior approval under the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019 and the same has been obtained and is enclosed herewith.</p> <p>(Tick whichever is applicable)</p> <p>Date: _____</p> <p>Place: _____</p> <p style="text-align: right;">Signature</p> <p>Enclosure:</p> <p>Approval under the Foreign Exchange Management (Non-Debt Instruments) Rules, 2019.”.</p>

[F. No. 2/31/CAA/2013-CL-V]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide*, number G.S.R. 1134(E), dated the 14th December, 2016, and subsequently amended, *vide*, notification number, G.S.R. 368(E), dated the 13th April 2017, G.S.R. 79(E), dated the 3rd February, 2020, G.S.R. 773(E), dated the 17th December, 2020 and G.S.R. 93(E), dated the 1st February, 2021.